



भारत सरकार, रेल मंत्रालय,
रेलवे भर्ती बोर्ड



विस्तृत केंद्रीयकृत रोजगार सूचना सीईएन संख्या – 07/2024



मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों की भर्ती



बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें।



भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड



केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या - 07/2024 मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती

महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं समय

प्रकाशन की तिथि	06/01/2025
ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि	07/01/2025 (00:00 Hrs)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	06/02/2025 (23:59 Hrs)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 06/02/2025 (23:59 बजे) के बाद आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि	07/02/2025 to 08/02/2025
संशोधन शुल्क भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की तिथियाँ एवं समय (कृपया ध्यान दें : खाता बनाते समय फॉर्म में भरा गया विवरण और चुने गए आरआरबी को संशोधित नहीं किया जा सकता है।)	09/02/2025 to 18/02/2025

कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की तिथि तथा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की तिथियों की जानकारी समय-समय पर इस सूचना के पैरा -15.0(i) में सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।

रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों और इस सीईएन के पैरा 4 में वर्णित अन्य नागरिकों से भारतीय रेल की विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में मिनिस्टीरियल तथा आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन को चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड को दिनांक 06/02/2025 23.59 बजे तक ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण निर्देश- ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करने के लिए

- उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (दिनांक 06/02/2025) तक पद(पदों) के लिए निर्धारित योग्यता/पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन न करें। [आपका ध्यान दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु) अधिनियम, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है] जो कि sansad.in/legislation/bills पर उपलब्ध है और भारत के राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।
- ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में दिए गए सभी निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सीईएन के पैरा 15.0(i) में दिए गए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों को ही देखें तथा फर्जी वेबसाइटों तथा जालसाजों से सावधान रहें।
- उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर, वैध तथा सक्रिय (चालू) ई-मेल आईडी होना चाहिए और उसे (मोबाइल नंबर एवं ई-मेल) भर्ती प्रक्रिया की पूरी अवधि तक सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस तथा ई-मेल से भेजी जाती है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल में परिवर्तन के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस

सीईएन के लिए भी आवेदन भरने से पहले पहले एक खाता बनाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी चरण में खाता बनाएँ फॉर्म में भरा गया विवरण(मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद संशोधित नहीं किया जाएगा।

5. आवेदन, 15.0(i) में सूचीबद्ध किए गए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों के माध्यम से केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए इस सीईएन में अधिसूचित सभी पदों के लिए केवल एक आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवार सिर्फ एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड को आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप उसे अयोग्य और वंचित घोषित कर दिया जाएगा।
6. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने से पहले, इस विस्तृत सीईएन संख्या : 07/2024 में अपनी पात्रता जानने के लिए उम्मीदवारों पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-A) और रिक्ति तालिका (अनुलग्नक-B) को पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें। इसके बाद ही, उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड चुनना चाहिए और उस चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अधिसूचित पद(पदों) का विकल्प चुनना चाहिए। एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात् उसे बदला नहीं जा सकता।
7. उम्मीदवार की पात्रता केवल उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र या प्रमाण-पत्र या उनके फोटोकॉपी के प्रिंटआउट को संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की प्रक्रिया के दौरान अथवा उसके पश्चात्, किसी उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना झूठी / गलत होने अथवा संबंधित सूचना को छिपाए जाने पर अथवा उम्मीदवार द्वारा पद (पदों) के लिए अपेक्षित मानदंड पूरे नहीं किए जाने पर, उसकी पात्रता समाप्त कर दी जाएगी।
उम्मीदवार आवेदन जमा करने के बाद भी आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम तिथि तक संशोधन शुल्क का भुगतान करके चयनित आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अतिरिक्त आवेदन विवरण को संशोधित कर सकते हैं। लेकिन आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम तिथि (दिनांक 18/02/2025) के बाद आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए कोई भी आवेदन आरआरबी द्वारा मान्य नहीं होगा।
8. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद(पदों) के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। उम्मीदवार यह ध्यान दें कि नियुक्ति से पहले चिकित्सा-परीक्षण के समय आवेदन किए गए पद के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों में अनुपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
9. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिए केंद्र/शहर का आवंटन तकनीकी और लोजिस्टिकल व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उपस्थित होने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क में छूट, आयु में छूट इत्यादि के दावे के लिए निर्णायक तिथि, जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि होगी।
11. अंतिम क्षणों की व्यस्तता से बचने के लिए उम्मीदवारों के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व पंजीकरण कराएं तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करें, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/असफलता की संभावना हो सकती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए (सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक सभी कार्य दिवस पर)।

ई-मेल : Email: rrb.help@csc.gov.in , दूरभाष : 9592001188, 01725653333

उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किसी अन्य कारणों से आवेदन पंजीकरण जमा न कर पाने अथवा जमा न कर पाने की स्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश- परीक्षा प्रक्रिया

- 1) **कदाचार** : कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है , परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है, नाम बदल कर परीक्षा देने आता है तो उसे रेलवे भर्ती बोर्ड/ आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [आपका ध्यान दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु) विधेयक, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है] जो sansad.in/legislation/bills पर उपलब्ध है और भारत के राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।
- 2) **प्रतिबंधित सामग्री**:- परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्ल्यूटूथ, पैन ड्राइव, लैपटाप, कैलकुलेटर, घड़ी जैसे इलेक्ट्रिक उपकरण अथवा अन्य कोई संचार उपकरण अथवा पैन/पेंसिल, बटुआ/पर्स, बेल्ट, जूते और धातु से बने पहनावे और आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है। उम्मीदवार द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के साथ-साथ उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आगे होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फ़ोन सहित उपर्युक्त प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनको सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।
- 3) **परीक्षा के चरण**: एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) होगी, इसके बाद ट्रांसलेशन टेस्ट (TT)(अनुवाद परीक्षण) / (प्रदर्शन परीक्षण) (PT) / शिक्षण कौशल परीक्षण (TST) (जैसा लागू हो) और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड एक या कई चरणों में कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 4) **बुलावा पत्र** : उम्मीदवारों को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए लिंक से शहर और तिथि सूचना, ई-बुलावा पत्र तथा यात्रा प्राधिकार (जहाँ भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
- 5) **अंकों का सामान्यकरण** : बहु सत्रों में शामिल परीक्षा के सभी चरणों के लिए अंक समान्यीकृत किए जाएँगे।
- 6) **विभिन्न चरणों के लिए सूचीबद्ध किया जाना** : प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड में दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की सूची सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी। अनुवाद परीक्षा के लिए सूची में, सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन सभी उम्मीदवारों को अनुवाद परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भले ही परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से अधिक हो जाए।

स्कूल शिक्षक पदों के लिए उम्मीदवारों की सीबीटी में मेधा के आधार पर प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा के लिए रिक्तियों के 2-1/2(2.5) गुना उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ एक से अधिक उम्मीदवार कट-ऑफ पॉइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन सभी उम्मीदवारों को प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भले ही प्रदर्शन परीक्षण / शिक्षण कौशल परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 2-1/2(2.5) गुना से अधिक हो जाए।
- 7) **नकारात्मक अंकन** : कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक काट दिए जाएँगे।

विस्तृत सीईएन

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा और उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आधारित होगा।
- 1.2 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीईएन की सूचना में दिए गए मानक विनिर्देशों के अनुसार उनकी अपनी फोटो और हस्ताक्षर ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि आवेदन में फोटो/हस्ताक्षर धुंधला/अयोग्य/गैर-मानक है, तो ऐसे आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं। मात्र ई-बुलावा पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार की उम्मीदवारी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से पहले परीक्षा केंद्र पर, उम्मीदवार के फोटो और हस्ताक्षर की उपयुक्तता, प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच के साथ उम्मीदवार के क्रेडेंशियल का सत्यापन किया जाएगा।
- 1.3 रेलवे भर्ती बोर्ड दस्तावेज़ सत्यापन के समय उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल सहकारी दस्तावेजों के विवरण के सापेक्ष में ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण का सत्यापन करेगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन में घोषित जानकारी और सहकारी दस्तावेजों के बीच कोई भिन्नता या पात्रता मानदंड (जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति/समुदाय, चिकित्सा मानक) को पूरा न करने के परिणामस्वरूप उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और यदि उसे नियुक्त किया जा चुका है, तो ऐसे उम्मीदवार को पूर्णतः पद से हटाया जा सकता है।
- 1.4 इस अधिसूचना में दिए गए पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता (योग्यताएँ) तथा चिकित्सा मानक (मानकों) सहित अन्य सभी पात्रताओं के लिए स्वयं संतुष्टपूर्वक पात्र हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 06/02/2025 तक** उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान/प्राधिकरण द्वारा जारी अपेक्षित शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएँ हैं। वे **उम्मीदवार जिनकी निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम परीक्षा का परिणाम इस अधिसूचना के अंतिम तिथि के बाद घोषित होगा वे इस अधिसूचना के लिए पात्र नहीं माने जाएँगे, अतः उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।**
- 1.5 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे तथा उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आगे की सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, सूचना तथा/अथवा तथ्यों में थोड़े बदलाव के साथ एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन सीधे रद्द कर दिए जाएँगे और ऐसा करने पर उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड तथा रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आगे की सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जीवन भर के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया गया है और उनकी वर्जित की गई अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे उम्मीदवार इस अधिसूचना के लिए आवेदन न करें। भर्ती के किसी स्तर पर भी ऐसे उम्मीदवारों का पता चलते ही उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र इकाई/ अन्य किसी सरकारी संस्थान द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है वे इस अधिसूचना के लिए पात्र नहीं हैं, वे आवेदन न करें।
- 1.7 उम्मीदवार अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि केवल अपने एसएसएलसी/ मैट्रिक/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाण-पत्र के अनुसार ही भरें।
यदि नाम बदला गया है तो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में केवल अपने परिवर्तित नाम का ही उल्लेख करें। लेकिन अन्य विवरण मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण पत्रों के अनुसार होने चाहिए। ऐसे परिवर्तन(परिवर्तनों) की तिथि अथवा ऐसे परिवर्तनों का आवेदन की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले की होनी चाहिए। ऐसे मामलों के संबंध में राजपत्रित अधिसूचना अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज़, जैसे लागू हों, दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

1.8 उम्मीदवारों द्वारा भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर सभी दस्तावेजों पर रनिंग हैंड राइटिंग में एक समान हस्ताक्षर किए जाने चाहिए तथा ये ब्लॉक/बड़े अक्षरों अथवा असंबद्ध अक्षरों में नहीं होने चाहिए। उम्मीदवार को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करने होंगे। उम्मीदवार द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन इत्यादि के समय विभिन्न स्वरूपों में हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.9 परीक्षाओं की तिथियों को प्रकाशन भाग लेने वाले रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट पर भी किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (जैसा लागू हो) के लिए ई-बुलावा पत्र केवल संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड किए जा सकते हैं। ई-बुलावा-पत्र में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल, अनुवाद परीक्षा तथा दस्तावेज सत्यापन के लिए उल्लिखित परीक्षा केंद्र, तिथि तथा पाली अंतिम है। डाक के द्वारा कोई भी बुलावा-पत्र नहीं भेजा जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना किसी कारण बताए अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा और/या अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन आदि आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

1.10 केंद्रीयकृत रोजगार सूचना में उल्लिखित रिक्तियाँ अंतिम हैं तथा वे बदल (बढ़ या घट) सकती हैं और कुल रिक्तियाँ शून्य भी हो सकती हैं अथवा बाद में रेलवे प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किसी विशेष रेलवे/इकाइयों/समुदायों/पदों के लिए बदल सकती हैं। रेलवे आवश्यकताओं के अनुसार बाद में अतिरिक्त पद भी शामिल किए जा सकते हैं।

रेलवे प्रशासन अपने पास किसी भी चरण पर अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा उसका निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा। अधिसूचित रिक्तियाँ रद्द किए जाने की स्थिति में कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों द्वारा भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क की धन वापसी नहीं की जाएगी। वापसी की राशि के लिए पैरा 7.0 देखें।

1.11 पद और/या रेलवे (रेलों)/यूनिट (यूनिटों) के लिए वरीयता : ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान उम्मीदवार द्वारा चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अधिसूचित विभिन्न पद जिनके लिए उम्मीदवार योग्य हैं, उनके उम्मीदवार से विकल्प लिए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों को उनके विकल्पों के अनुसार केवल योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति के आधार पर पद और रेलवे/यूनिट आवंटित करेंगे। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/पसंद के अनुसार पैनल में रख लिया जाता है, तो वे किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए अपने चयन का अधिकार समर्पित कर देंगे।

आंशिक विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट कोटियों के लिए ही चयनित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार कुछ पदों के लिए विकल्प को नहीं चुनता है तो उसे उन पदों के लिए अनिच्छा के रूप में माना जाएगा।

तथापि, रेलवे भर्ती बोर्ड यदि प्रशासनिक हित में आवश्यक हो तो, उम्मीदवारों को उनके द्वारा न चुने गए पद/रेलवे/यूनिट संबंधित पद आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, बशर्ते कि वे उम्मीदवार उन्हें आवंटित पदों की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।

उम्मीदवारों की पैनल में संख्या में कमी या अन्य अनिवार्यताओं के कारण, यदि आवश्यक हो तो रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार मेरिट सूची से नीचे अतिरिक्त उम्मीदवारों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन कर लिए जाने किसी उम्मीदवार को रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्य संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के सक्षम अधिकारी को योग्य उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है। संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई द्वारा रिक्तियों तथा पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी मानदंडों के प्रति संतुष्ट होने के पश्चात् उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाते हैं।

1.13 चयनित उम्मीदवारों को जहाँ निर्धारित हो उन मामलों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा उन्हें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान केवल लागू स्टाइपेंड का ही भुगतान किया जाएगा।

1.14 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में कार्यग्रहण के समय यथा लागू प्रतिभूति बॉन्ड तथा/अथवा सिक्युरिटी बॉन्ड भरना होगा।

1.15 सामान्यतः रेल कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान उसे उसी रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा, जिसमें उसकी पहली नियुक्ति की गई है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण का दावा करने का अधिकार नहीं होता है। तथापि, सेवा की अनिवार्यताओं के कारण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान, जिसमें भारत के अंदर या बाहर की परियोजना भी शामिल है, में स्थानांतरित किया जा सकता है। जब तक नव नियुक्त उम्मीदवार कम से कम 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेते, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन उचित सावधानी और सोच समझ कर करें।

1.16 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवाएँ प्रदान करने के लिए दायी होंगे।

1.17 निःशुल्क शयनयान श्रेणी रेलवे पास केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, जो यह निःशुल्क यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हाँ' ('Yes') भरना होगा और वैध जाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय भरे गए विवरण के आधार पर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन इत्यादि जैसे चयन के विभिन्न चरणों में भाग लेने के लिए जारी ई-बुलावा-पत्र में निःशुल्क शयनयान श्रेणी रेलवे पास भी शामिल होगा। निःशुल्क यात्रा प्राधिकार प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें इसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा के लिए तथा आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

टिकट आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण लिपिक तथा/अथवा टिकट जाँच करने वाले कर्मचारी, उम्मीदवार की यथार्थता के सत्यापन के लिए उससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वैध प्रमाण-पत्र की माँग कर सकेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ साथ चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

1.18 रेलवे भर्ती बोर्ड आवश्यकता होने पर तथा जैसा लागू हो, इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार का आगामी परिवर्तन/संशोधन/संवर्धन समावेश करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.19 उम्मीदवार की सहमति से रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उस उम्मीदवार द्वारा रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ उनकी भर्ती प्रक्रिया के लिए साझा किया जा सकता है। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरते समय इस संबंध में सहमति या असहमति दे सकते हैं।

2.0 रिक्तियाँ:

2.1 इस सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पोस्ट पैरामीटर (वेतन, न्यूनतम/अधिकतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता इत्यादि) **अनुलग्नक-A** में दिए गए हैं।

2.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस, भूतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूडी के लिए रिक्त पदों के लिए आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे/यूनिट और पदवार रिक्तियाँ **अनुलग्नक-B** में दी गई हैं।

2.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह रिक्तियाँ बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य निर्देश का पैरा 1.10 देखें)।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक:

दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएँ), जो कि उम्मीदवार द्वारा चयनित पद(पदों) से संबंधित कार्यों को करने के लिए चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए हैं, उत्तीर्ण करना होगा। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक अत्यंत महत्वपूर्ण मापदंड है। चिकित्सा मानक निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	बी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 4डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि: एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या उसके बिना जब पढ़ना या करीबी काम करना आवश्यक हो तो तथा रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि के लिए परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना होगा।
2	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के। नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या उसके बिना जब पढ़ना या करीबी काम करना आवश्यक हो तो ।
3	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतःस्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/12, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के शून्य। नजदीक की दृष्टि: एसएन 0.6 संयुक्त चश्मे के साथ अथवा उसके बिना जहाँ पढ़ने या करीबी काम की आवश्यकता होती है वहाँ

नोट: लॉसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार चिकित्सा मानक बी-1 के लिए पात्र हो सकते हैं यदि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं: 1) उम्मीदवार में लॉसिक सर्जरी की जटिलता नहीं पाई जाती है। 2)लॉसिक सर्जरी एक वर्ष की अवधि की होनी चाहिए एवं जहां से उम्मीदवार ने अपनी सर्जरी करवाई है उस संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। 3) लॉसिक सर्जरी के बाद “अवशिष्ट कॉर्नियल मोटाई” (Residual corneal Thickness) पचमैट्री पर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। 4) दृश्य तीक्ष्णता आईआरएमएम तृतीय संस्करण 2000 के खण्ड-1 के पारा 512(1) (A) के अनुसार हो। 5) फनडस सामान्य होनी चाहिए। 6) बढ़ने वाले (progressive) नेत्र रोग की कोई प्रमाण नहीं होना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम 1 के पैरा 534 में वर्णित चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MM Vol-I/chapter 5.pdf पर देखा जा सकता है।

पीडब्ल्यूबीडी के लिए भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम 1 के पैरा 511(7) में वर्णित चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MM Vol-I/chapter 5.pdf पर देखा जा सकता है।

उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें कि वे उनके द्वारा चुने गए पद के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार उपयुक्त हैं। चयनित पदों के लिए निर्धारित मेडिकल उपयुक्तता उत्तीर्ण करने में विफल होने की स्थिति में उम्मीदवार को उस पद के लिए पैनल में रखने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा और न ही कोई वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

उपयुक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं तथा ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम 1 अध्याय 5 का अध्ययन करें, जिसे www.indianrailway.gov.in पर देखा जा सकता है।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता:

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:

- (a) भारत का नागरिक, अथवा
- (b) नेपाल का मूल निवासी, अथवा
- (c) भूटान का मूल निवासी, अथवा

(d) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आया है अथवा

(e) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया तथा वियतनाम से आकर भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आया है।

(f) यदि उपर्युक्त कोटियों (b), (c), (d) तथा (e) में आने वाले उम्मीदवार के लिए भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

4.2 ऐसे उम्मीदवार, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जाना आवश्यक हो, को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है लेकिन भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

5.0 आयु सीमा:

5.1 रिक्ति तालिका में दिए गए सभी निर्धारित पद (पदों) के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु का आकलन दिनांक 01.01.2025 से किया जाएगा।

5.2 विभिन्न आयु वर्गों के लिए उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियाँ अथवा उनके बीच होनी चाहिए :

आयु वर्ग (न्यूनतम आयु-अधिकतम आयु) जैसा कि पद मानक के अनुलग्नक-A में उल्लेखित है	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा			जन्मतिथि की निचली सीमा (इसके पश्चात् नहीं)
	अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	सभी समुदाय/श्रेणी के लिए
18 से 33 वर्ष	02/01/1992	02/01/1989	02/01/1987	01/01/2007
18 से 35 वर्ष	02/01/1990	02/01/1987	02/01/1985	
18 से 36 वर्ष	02/01/1989	02/01/1986	02/01/1984	
18 से 38 वर्ष	02/01/1987	02/01/1984	02/01/1982	
18 से 43 वर्ष	02/01/1982	02/01/1979	02/01/1977	
18 से 48 वर्ष	02/01/1977	02/01/1974	02/01/1972	

नोट :- इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट शामिल है। उपरोक्त तालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए दी गई जन्मतिथि की सीमा में उस समुदाय की आयु में दी जाने वाली छूट शामिल है।

5.3 ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका के अनुसार विभिन्न कोटियों/समुदायों को उचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर छूट प्रदान की जाएगी।

क्र. सं.	समुदाय/कोटि	समुदाय	आयु में छूट (ऊपरी आयु सीमा के बाद) या अधिकतम आयु
1	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	--	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 5 वर्ष की छूट
2	अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	--	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 3 वर्ष की छूट
3	भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा की है	अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 3 वर्ष की छूट (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	36/38/39/41/46/51 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 6 वर्ष की छूट (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	38/40/41/43/48/53 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 8 वर्ष की छूट (आयु से सेवा अवधि घटाने के बाद)
4	पीडब्ल्यूबीडी	अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 10 वर्ष की छूट
		अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 13 वर्ष की छूट
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत आयु में 15 वर्ष की छूट
5	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह 'घ' एवं आकस्मिक श्रमिक तथा सबस्टीट्यूट के पदों पर न्यूनतम 3 वर्ष से (निरंतर अथवा खंडित भागों में) कार्यरत हैं	अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40 वर्ष तक अथवा आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा तक
		अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	43 वर्ष तक अथवा आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा तक
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	45 वर्ष तक अथवा आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा तक
6	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इनिस्टिट्यूट में काम करने वाले उम्मीदवार	अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	33/35/36/38/43/48 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो की छूट
		अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	36/38/39/41/46/51 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो की छूट
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	38/40/41/43/48/53 (आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा के अनुसार) और उसके उपरांत सेवा की अवधि तक या 5 वर्ष तक, जो भी कम हो की छूट
7	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग होने वाली, लेकिन दुबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	35 वर्ष तक अथवा आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा तक
		अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन क्रीमी लेयर	38 वर्ष तक अथवा आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा तक
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	40 वर्ष तक अथवा आयु वर्ग की ऊपरी आयु सीमा तक

5.4 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.5 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लागू है।

5.6 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह उन छूटों में से जो अधिकतम आयु की छूट है उसे प्राप्त करेगा।

5.7 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो कि उसके मेट्रिक/एसएसएलसी अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में कोई भी अनुरोध अमान्य होगा।

5.8 पीडब्ल्यूबीडी तथा भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट उपरोक्त पैरा 5.3 के अनुसार लागू होगी।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएँ:

इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के अनुलग्नक-A में दर्शाए गए पदों के लिए, उम्मीदवार के पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **06.02.2025** तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान/प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक/ तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएँ होनी चाहिए। जो उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा/रही है और जिसकी परीक्षा का परिणाम इस अधिसूचना के अंतिम तिथि के बाद घोषित होगा उस उम्मीदवार को आवेदन नहीं करना चाहिए।

7.0 परीक्षा शुल्क:

इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपनी कोटि के अनुसार निम्नानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा :-

क्र. सं.	उम्मीदवारों की कोटियाँ	शुल्क
1.	नीचे दी गई छूट प्राप्त कोटियों के अलावा अन्य सभी कोटियों के लिए। पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद उम्मीदवारों को इस रु.500/- के शुल्क में से रु.400/- की राशि लागू बैंक प्रभार काटकर वापस की जाएगी।	रु.500/-
2.	पीडब्ल्यूबीडी /महिलाएँ/ट्रांसजेंडर/भूतपूर्व सैनिक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। (उम्मीदवार सावधान रहें :- उम्मीदवार आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समझकर भ्रमित न हों) पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद उम्मीदवारों को इस रु.250/- के शुल्क में से लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि वापस की जाएगी।	रु.250/-

नोट : केवल वही उम्मीदवार जो पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें ही परीक्षा शुल्क की धन वापसी की जाएगी।

7.1 शुल्क के भुगतान के माध्यम:

- शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। सभी सेवा शुल्क जो लागू हों, उम्मीदवार को वहन करने होंगे।
- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क के भुगतान का कोई विकल्प नहीं होगा।
- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे तथा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियन (पारसी) माने जाएंगे तथा इस अल्पसंख्यकों की सूची में यदि केंद्रीयकृत रोजगार सूचना की ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/विलोपन/संवर्धन होता है तो उसे सम्मिलित किया जाएगा। परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7.3 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है तथा जो शुल्क में छूट के लिए (उपरोक्त पारा 7.0 के अनुसार) पात्र हैं। इसके लिए उनके पास :-

A) आवेदन की तिथि पर निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक-III A के अनुसार) जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर वैध आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :-

- 1) जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर तक का हो ।
- 2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद ।
- 3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के वर्तमान सांसद, जिसमें ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- 4) देश के केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए।

(अथवा)

B) बीपीएल कार्ड या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण-पत्र हो।

(अथवा)

C) रेल द्वारा जारी किया गया इज़्जत एमएसटी हो।

सभी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार जो शुल्क में छूट पाना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण-पत्र/बीपीएल कार्ड/इज़्जत एमएसटी का प्रासंगिक विवरण भरना होगा और इन प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति को दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा और ऐसा नहीं करने पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी ।

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अलग-अलग कोटियाँ हैं। उम्मीदवार ईबीसी को ओबीसी समझकर भ्रमित न हों। ईबीसी उम्मीदवारों जान लें कि वे केवल शुल्क में छूट के दावेदार होंगे, नौकरी में आरक्षण के नहीं ।

7.4 ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई द्वारा) करने वाले उम्मीदवारों को यह पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के बाद वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (रु.400/- या रु.250/- जैसा लागू हो) उसी खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस खाते से उन्होंने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है अथवा उन्हें वैकल्पिक लाभार्थी खाता, जिसमें वे धन वापसी प्राप्त करना चाहते हैं, का विवरण जैसे कि लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना होगा। परीक्षा शुल्क की वापसी योग्य हिस्सा, बैंक शुल्क जैसा कि लागू हो की विधिवत कटौती के बाद वापस किया जाएगा।

7.5 जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण:

8.1 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए जैसा लागू हो एवं स्वीकार्य हो तथा माँगकर्ता रेलवे द्वारा विद्यमान नियमों के अनुसार दी गई सूचना के आधार पर, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण दिया

गया है। केवल वे समुदाय, जिन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) में मान्यता प्राप्त है, आरक्षण के पात्र होंगे।

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अलग अलग कोटियाँ हैं। ईबीसी उम्मीदवार नौकरी में किसी भी प्रकार के आरक्षण के दावेदार नहीं हैं।

8.2 सभी उम्मीदवार चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, वे यदि अनारक्षित उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा करते हैं तो वे अनारक्षित रिक्तियों के लिए पात्र होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के लिए केवल संबंधित समुदायों के उम्मीदवार ही पात्र होंगे।

8.3 इसलिए ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित उम्मीदवार जो कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी योग्यता रखते हैं वे अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। तथापि उन्हें सभी स्तरों पर किसी विशेष सुविधा / आयु सीमा, योग्यता, अंकों इत्यादि में छूट के बिना अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। फिर भी ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।

8.4 आरक्षण प्राप्त करने के लिए ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण-पत्र (मूलप्रति) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण-पत्र **अनुलग्नक-I** (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए), **अनुलग्नक-II** (अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर) तथा **अनुलग्नक-III** (ईडब्ल्यूएस के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य व अन्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2024 के आलोक में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से पान/सवासी/पनर/तांती-तंतवा जाति के हैं और (बी) केवल बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य से (अस्थायी/स्थायी रूप से) किसी और जगह बस गए हैं, उन्हें अपना 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किया गया नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, जिसमें वे जिस समुदाय और जाति से मूल रूप से वे संबंधित हैं की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।

8.5 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र में यह विशेष रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिनांक 13.09.2017**के संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013 स्थापना (रे) संशोधित करने के बाद एवं इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, के बाद में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) में सम्मिलित नहीं हैं।

8.6 अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उनके पास जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है तथा वे क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, समुदाय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग), जो कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य हो, की मूल प्रति को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा उन्हें **अनुलग्नक II-A** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा भी करनी होगी कि वे क्रीमी लेयर में सम्मिलित नहीं हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा न करने पर, ओबीसी-एनसीएल के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि वे भर्ती के सभी चरणों में सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो उन्हें केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

8.7 जो उम्मीदवार किसी समुदाय पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और परीक्षा के अगले चरण के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के लिए केवल उसी समुदाय, पीडब्ल्यूबीडी और भूतपूर्व सैनिक जैसा हो, उस में निहित माना जाएगा ।

8.8 महत्वपूर्ण : केवल समुदाय/कोटि की इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक स्थिति के आधार पर ही पात्रता के अनुसार आरक्षण और आरक्षण संबंधित लाभ दिए जाएंगे। इसके बाद उम्मीदवारों के समुदाय/कोटि की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे माना नहीं जाएगा।

8.9 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण:

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में की जाएगी और उन्हें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ मिलेगा। आय में जिस वर्ष में आवेदन किया गया है उसके पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से आय, अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के लिए वित्तीय वर्ष जिस वर्ष में आवेदन किया गया है उससे पहले का वित्तीय वर्ष होगा। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनकी पारिवारिक आय कितनी भी हो:

- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग यार्ड या उससे अधिक का आवासीय भूखंड,
- iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग यार्ड या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न-भिन्न जगहों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहते हैं, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। उम्मीदवार द्वारा ईडब्ल्यूएस में होने के दावे के लिए केवल **अनुलग्नक-III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा :-

- a) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- b) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- c) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा
- d) उस क्षेत्र के उप-प्रभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना की आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है और इसके बाद समुदाय स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। आगे इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने में असफल होने पर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण के लिए उनका दावा मान्य नहीं होगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि वे सामान्य (अन-आरक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, को केवल सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के अंतर्गत माना जाएगा।

9.0 क्षैतिज (होरीजेन्टल)आरक्षण:

- 9.1 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना में किसी भी समुदाय के भूतपूर्व सैनिकों तथा पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) को क्षैतिज (होरीजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- 9.2 रिक्ति तालिका में जहाँ कहीं भी भूतपूर्व सैनिकों तथा पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए रिक्तियाँ दी गई हैं, वे अलग नहीं हैं, बल्कि कुल रिक्तियों में शामिल हैं।
- 9.3 जहाँ कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों के रूप में अलग (समुदायवार आवंटन के बिना) दिखाया गया है, वे पिछली बैकलॉग रिक्तियाँ हैं और इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना में दिखाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।
- 9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद(पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- 9.5 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद(पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनकी दिव्यांगता (डिसेबिलिटी) के दृष्टिकोण से अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्धारित है।
- 9.6 यदि नियमित पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियों को संबंधित अक्षमता, जिनके लिए रिक्तियों को आरक्षित किया गया है, उसके अनुसार उपयुक्त उम्मीदवारों की उपलब्धता न होने के कारण या किसी अन्य योग्य कारण से नहीं भरा जाता है तो ऐसी रिक्तियों को भरा नहीं जाएगा और उन्हें बैकलॉग रिक्तियों के अंतर्गत अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

यद्यपि, केंद्रीयकृत रोजगार सूचना में बताए बैकलॉग रिक्तियों के तहत सूचित रिक्तियों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उन्हें अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन रिक्तियों को भरा जाएगा जिनके पदों के लिए वे उपयुक्त हैं। पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार न मिलने पर उन पदों को मैरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो पीडब्ल्यूबीडी नहीं हो) द्वारा भरा जाएगा।

10.0 भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.):

- 10.1 भूतपूर्व सैनिक अर्थात् वह व्यक्ति, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा अन्य युद्धशील) पर भारतीय संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु सेना में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा सुरक्षा वाहनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है।

तथा

- वह व्यक्ति जो सेवानिवृत्त अथवा कार्यमुक्त अथवा स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त हुआ है, (अथवा)
- ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)
- जिसे स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)
- जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जिसे, अन्यथा उसके अनुरोध के बिना, अथवा बर्खास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है, तथा प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)
- सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)
- वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14.04.1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)
- प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)

h. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।

तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो केंद्रीय रोजगार सूचना की ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (दिनांक : 06/02/2025 या उससे पूर्व) के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास केंद्रीयकृत रोजगार सूचना की ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक : 06/02/2025 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान सेवारत सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी संभावित सेवानिवृत्ति की तारीख के साथ अनुलग्नक-VI(A) के अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- जब चयन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लग जाता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद सशस्त्र बलों से कार्यमुक्ति प्राप्त की है।
- चूंकि ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति इस बात के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन है कि उसे सशस्त्र बलों से विधिवत रूप से मुक्त/सेवामुक्त कर दिया गया है और वह पूर्वोक्त नियमों /अधिसूचनाओं के अनुसार भूतपूर्व सैनिक के रूप में योग्य है, ऐसे उम्मीदवार को अपने आवेदन के साथ अनुलग्नक-VI के अनुसार संलग्न प्रारूप में स्वयं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

10.3 ऐसे भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'सी' तथा 'डी' में भूतपूर्व सैनिक का लाभ लेकर (पीएसयू स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/राष्ट्रीकृत बैंक आदि में) असैनिक रोजगार पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत सी/डी के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट का लाभ ही प्रदान किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए मान्य नहीं होंगे।

10.4 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी असैनिक रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो उसे किसी भी आगामी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएंगे, परंतु ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के समक्ष इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में वे भूतपूर्व सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.5 भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा (आईआरएमएम) के वॉल्यूम-1 के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailways.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)

11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए 'मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता' कॉलम के अंतर्गत प्रत्येक पद के लिए उपयुक्तता, अनुदिव्यांगता विवरण सहित, पद-मापदंड सारणी (अनुलग्नक-A) में दर्शाए गए हैं।

मानक दिव्यांगता :- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं:-

(a) नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना (वीआइ);

- (b) बधिर और कम सुनाई देना (एचआइ);
- (c) लोकोमोटर अक्षमता (एलडी) जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं;
- (d) ऑटिज़म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;
- (e) बहु अक्षमताओं वाले व्यक्ति - बधिर-नेत्रहीन सहित खंड (a) से (d) के अंतर्गत आने वाली अक्षमताओं में से प्रत्येक पद के लिए चिन्हित अक्षमताओं में से एक से अधिक अक्षमता वाले व्यक्ति।

नोट: उम्मीदवार कृपया GOI वेबसाइट <https://depwd.gov.in/acts/> को अवश्य देखें और आगे की जानकारी के लिए संबंधित अधिनियम दिव्यांगता व्यक्तियों का अधिकार, 2016 से जांच करें।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा निम्नानुसार है :-

11.2 विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा: -

1. शारीरिक अक्षमता: -

- A) लोकोमोटर अक्षमता** (पेशी-कंकाल प्रणाली की व्याधि अथवा तांत्रिका प्रणाली की व्याधि या दोनों व्याधियों के कारण स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में किसी व्यक्ति की अक्षमता, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो), जिसमें: -
- (a) "कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति" - अर्थात् जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है: -
 - (i) बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात;
 - (ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों;
 - (iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ अत्याधिक आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय करने से रोके और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।
 - (b) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)" का अर्थ, किसी व्यक्ति के जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल में विकास के दौरान एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप शरीर की गतिविधियों और मांस पेशियों के समन्वय का प्रभावित होना।
 - (c) "बौनापन"- अर्थात् वह चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या कम होती है;
 - (d) "मांसपेशीय दुर्विकास" - अर्थात् वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह, जो मानव शरीर के मांसपेशियों को कमजोर करता है और बहु दुर्विकास वाले व्यक्तियों के गुणसूत्रों में गलत और कम जानकारी होती है, जो स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। प्रगतिशील अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशीयों की कमजोरी, मांसपेशी प्रोटीन में खराबी और मांसपेशी की कोशिकाओं की मृत्यु और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं।
 - (e) "एसिड हमले का शिकार" - अर्थात् एसिड या उसी प्रकार की संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण विकृत व्यक्ति है।
 - (f) किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना **रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी) और रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई)**। किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई व्यक्तियों को लोकोमोटर अक्षमता के अंतर्गत सभी उप श्रेणी अक्षमता के लिए उपयुक्त माना जाएगा। एसडी/एसआई से संबंधित अंगों की शिथिलता वाले व्यक्तियों को, जैसा मामला हो, संबंधित उप श्रेणी जैसे ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, ।

B) दृष्टि क्षीणता-

- (a) "दृष्टिहीनता" का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-
 - (i) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव; या
 - (ii) सबसे अच्छे सुधार के बाद बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्नेलन) से कम हो; या
 - (iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।
- (b) "कम दृश्यता" का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है, जैसे:-

- (i) सबसे अच्छे सुधार के बाद बेहतर आँख की दृष्टि तीक्ष्णता, उचित लेंसों के साथ 6/18 अथवा 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक से अधिक न हो; या
- (ii) दृश्यता के क्षेत्र की परिसीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक सीमित होना।

C) श्रवण क्षति-

- (a) "बधिर" का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की श्रवण आवृत्ति में 70 डीबी का हास है;
- (b) "कम सुनना" अर्थात वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की श्रवण आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी का हास है।

D) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी (लार्यनजेक्टोमी) या स्वरलोप जैसी स्थिति द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक अक्षमता** का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कार्य (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूली व्यवहार, जिसमें दैनिक कार्यकलाप, सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, में महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं के साथ साथ। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(a) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" अर्थात विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं।

(b) "स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर)" अर्थात स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूररे संबंध बनाने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और जो हमेशा असामान्य या रुढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

3. **मानसिक व्यवहार - "मानसिक बीमारी"** अर्थात सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में अत्यधिक विकार, जिसके कारण निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है, परंतु जिसमें मंदता जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, सम्मिलित नहीं है और बुद्धि की उप-सामान्यता इसकी विशेषता है।

(4) अक्षमता उत्पन्न होने के कारण -

(a) कालक्रमबद्ध न्यूरोलॉजिकल स्थिति, जैसे-

(i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्क्लेरोसिस)" अर्थात एक अभिज्वाल्य तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें मस्तिष्क तथा मेरुदंड की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतुओं के चारों ओर लगा माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप डीमायलीनेशन होता है और मस्तिष्क तथा मेरुदंड की तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संवाद बाधित होता है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अर्धे उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, और जो मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से संबंधित है।

(b) रक्त विकार -

(i) "हीमोफीलिया" एक अनुवांशकीय बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित होने वाली है, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे छोटे घाव में भी घातक रक्तस्राव होता है;

(ii) "थैलेसीमिया" एक ऐसा अनुवांशकीय रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

(iii) "सिकल सेल रोग" एक रक्तलायी (हेमोलाइटिक) विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचाने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द के दौर तथा कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, "हेमोलिटिक" बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचाने के कारण हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

5. **बहु अक्षमताएँ** (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष बीमारियों में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने के साथ साथ देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ हों। बहु अक्षमताएँ श्रेणी के अंतर्गत केवल वे उम्मीदवार योग्य हैं जो कि दिए गए पद के लिए चिन्हित अक्षमताओं में से एक से अधिक अक्षमताएँ रखते हैं।

6. **अन्य कोई कोटि**, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क अक्षमता की डिग्री तथा अक्षमता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे, जो प्रासंगिक मानक दिव्यांगता के 40% प्रतिशत से कम दिव्यांगता से ग्रस्त नहीं होंगे। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं, उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 की दिनांक 14 मार्च 2024 की राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18 (1) के फॉर्म V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए अनुलग्नक V(A), अनुलग्नक V(B) और अनुलग्नक V(C) को देखें। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम 1995 (निरस्त होने के बाद से) के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 लेखक (स्क्राइब) की सहायता:

11.4.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, वे परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

11.4.2 बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों अर्थात् दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मांसपेशीय दुर्बिकास से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार जिनमें विकलांगता 40% से कम नहीं है, में उनके द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है को प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। उनके द्वारा अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद वे परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(F) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन फार्म में उल्लेख करना होगा। स्क्राइब की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त की जा सकती हैं :-

- पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को अपने लिए स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।
- इस प्रकार से नियुक्त किया गया स्क्राइब स्वयं उस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है। किसी एक स्क्राइब की सेवा एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में स्क्राइब और उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी स्तर पर इन शर्तों के उल्लंघन की जानकारी प्राप्त होने पर स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को अयोग्य माना जाएगा।
- स्क्राइब का चयन करने वाले उम्मीदवारों को अनुलग्नक-V (D) के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय स्क्राइब के लिए अतिरिक्त विवरण देना होगा ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड स्क्राइब के लिए ई-बुलावा पत्र जारी कर सके। ई-बुलावा पत्र पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। स्क्राइब को कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र में मूल और वैध पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पासपोर्ट आकार का फोटो लाना होगा।
- उम्मीदवार के साथ में आने वाले स्क्राइब के लिए अलग से ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा।
- परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।
- स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।
- जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता प्रासंगिक मानक दिव्यांगता के 40% प्रतिशत से कम नहीं हैं और स्क्राइब की सेवाएं लेना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, वे सीबीटी केंद्र पर अनुलग्नक-V(D) प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर, अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, प्रस्तुत करने के बाद और स्क्राइब के लिए निर्धारित

शर्तों का विधिवत अनुपालन करते हुए स्क्राइब की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपात स्थितियों में भी आपात कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद, अनुलग्नक-V(D) में संबंधित विवरणों को भरने और नए स्क्राइब की फोटो चिपकाने के पश्चात स्क्राइब के परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

- h) स्क्राइब की नियुक्ति से संबंधित शर्तें सक्षम प्राधिकारी के विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- 11.5 एक आँख वाले सभी उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 11.6 यदि 40% से कम दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को लिखने में कठिनाई होती है और वह स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो उसे स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी यदि वह अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाणपत्र के साथ अनुलग्नक-V(F) के अनुसार स्व-घोषणा प्रस्तुत करने में सक्षम है। उम्मीदवार द्वारा चुने गए स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।
- 11.7 दस्तावेज सत्यापन के समय चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों के अनुसार होंगे।
- 11.8 जो रिक्तियाँ पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं उनके लिए यदि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति-नॉन क्रीमी लेयर की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों की योग्यता के प्रतिशत के अनुसार पैनल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में प्रत्येक समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट:

ऐसे सभी उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति-नॉन क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक कोटि में उपलब्ध आरक्षण/छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें केंद्रीयकृत रोजगार सूचना/नियमों में निर्दिष्ट पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट प्राप्त करने के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। उनके पास अपने दावे के समर्थन में केंद्रीयकृत रोजगार सूचना/नियम में निर्दिष्ट सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रोफार्मा होने चाहिए।

12.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी):

- 12.1 रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 12.2 उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार को आवेदन करने/परीक्षा में भाग लेने के लिए दी गई अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/उम्मीदवारी को रद्द/अस्वीकार किया जा सकता है।

13.0 भर्ती प्रक्रिया:

- 13.1 उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से रेलवे भर्ती बोर्ड के किसी भी एक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन जमा करना चाहिए। उम्मीदवार केवल एक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए और केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन (चयनित आरआरबी में किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए प्राथमिकता के क्रम में) जमा कर सकते हैं। एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात् वह अंतिम होगा। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 13.2 ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए भी आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले एक खाता बनाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से

भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाता बनाए फॉर्म में भरा गया विवरण(मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है।

- 13.3** भर्ती की प्रक्रिया में एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (यथा लागू) और दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा शामिल है। तथापि, रेलवे भर्ती बोर्ड यथा आवश्यक सभी या सीमित उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के संचालन का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- 13.4** कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा या यथा लागू अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि, समय तथा स्थान का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसकी सूचना उम्मीदवारों को विधिवत् दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में उक्त में से किसी भी क्रियाकलाप का विलंबन, स्थान तिथि तथा पारी में बदलाव से संबंधित अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 13.5** प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र के लिए 90 मिनट की परीक्षा अवधि होगी और स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले योग्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा अवधि 120 मिनट की होगी।
- 13.6** प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।
- 13.7** एकल चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का मानक सामान्यतः पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक मानकों के अनुरूप होगा। सभी अधिसूचित पदों के लिए व्यावसायिक योग्यता से संबंधित प्रश्न अनुलग्नक-VIII से XXI में उल्लिखित पाठ्यक्रम से होंगे।
- 13.8** **खंडवार अंक:** कनिष्ठ अनुवादक/हिंदी पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के **खंडवार प्रश्नों की संख्या और अंको** का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विषय	प्रश्नों की संख्या	आवंटित अंक
व्यावसायिक योग्यता	50	50
सामान्य जागरूकता	15	15
सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	15	15
गणित	10	10
सामान्य विज्ञान	10	10
कुल	100	100

प्रत्येक एक प्रश्न एक अंक का होगा।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार बंटवारा केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। **नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे।**

- 13.9** कनिष्ठ अनुवादक/हिंदी पदों को छोड़कर बाकी सभी पदों के प्रश्न निम्नलिखित विषयों से संबंधित शामिल किए जाएंगे :-

- गणित:** अंक प्रणाली, बॉडमस, दशमलव, अंश, लघुतम समापवर्तक तथा महतम समापवर्तक, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, सामान्य तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ व हानि, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी इत्यादि।
- सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति:** अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, संबंध, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, आँकड़ा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएँ और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा-निर्देश, कथन-तर्क और धारणा इत्यादि।
- सामान्य जागरूकता:** वर्तमान घटनाओं का ज्ञान, भारतीय भूगोल, संस्कृति एवं स्वतंत्रता संग्राम सहित भारत का इतिहास, भारतीय राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व के पर्यावरण संबंधी मुद्दे, खेल और क्रीड़ा, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास इत्यादि।
- सामान्य विज्ञान:** भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं कक्षा तक का सीबीएसई पाठ्यक्रम)।

- 13.10 विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत:** अनारक्षित-40%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग(अन्य- क्रीमी लेयर) -30 %, अनुसूचित जाति-30 %, अनुसूचित जनजाति-25% । पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए आरक्षित

रिक्तियों के लिए पीडब्ल्यूबीडी व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति में पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को पात्रता के लिए 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

13.10.1 जब दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को आवश्यक माना जाता है और आयोजित किया जाता है, रेल भर्ती बोर्ड पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा को एक योग्यता परीक्षा के रूप में मानकर उसके आधार पर दूसरे चरण के लिए उचित संख्या में उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.11 प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन (यथा लागू) पदों के लिए उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

13.12 जूनियर अनुवादक/हिंदी:

एक एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद एक योग्यता अनुवाद परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिंदी भाषा के ज्ञान को परीक्षण करने के लिए तैयार किया जाएगा। कम से कम 50% प्रश्न को भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए होंगे जिसमें अंग्रेजी के लिए 20% और हिंदी के लिए 30% होंगे। सीबीटी में भाषा से संबंधित भाग के लिए पाठ्यक्रम **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। शेष प्रश्नों को सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, सरल अंकगणित और कंप्यूटर की मूल जानकारी के परीक्षण के लिए तैयार किया जाएगा।

अनुवाद परीक्षा

- (i) अनुवाद परीक्षा मुख्य परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार की सीबीटी में योग्यता के आधार पर, आरक्षण की आवश्यकताओं को विधिवत ध्यान में रखते हुए, अनुवाद परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या से 10 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।
- (ii) अनुवाद परीक्षा केवल एक योग्यता परीक्षा होगी और योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 60% अंक आवश्यक होंगे।

13.12.1 जूनियर अनुवादक की मेरिट लिस्ट केवल सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। जो उम्मीदवार 60% अंकों के साथ अनुवाद परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

13.13 प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा

पैरा 13.8 में बताई गए 100 अंकों के सीबीटी के अलावा, शिक्षकों के लिए प्रदर्शन परीक्षण (PT) और शिक्षण कौशल परीक्षा (TST) होगी। स्नातकोत्तर शिक्षक (पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (ट्रेड ग्रेजुएट टीचर), शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (PTI) और सहायक अध्यापिका (जूनियर स्कूल) के लिए भर्ती लिखित परीक्षा (CBT) और शिक्षण कौशल परीक्षा के 85:15 के अनुपात के आधार पर की जाएगी।

संगीत शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/संगीत, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/शिल्प, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/ चित्रकला के पदों के लिए लिखित परीक्षा (सीबीटी), प्रदर्शन परीक्षण और कौशल परीक्षा का महत्व क्रमशः 60:25:15 के अनुपात में होगा।

शिक्षण कौशल परीक्षा:- शिक्षण कौशल परीक्षा, शिक्षण की क्षमता, शिक्षण पद्धति, सामग्री विशेषज्ञता, सामग्री की उपयुक्तता, क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास का समावेश, संवाद कौशल, प्रस्तुति कौशल, कक्षा प्रबंधन कौशल, विषय वस्तु की समझ, समस्या सुलझाने की क्षमता, निर्णय लेने, रचनात्मकता, नेतृत्व और प्रेरणा की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को समिति के सामने पावर प्वाइंट प्रस्तुति के माध्यम से उनके विषय के कुछ प्रकरणों को पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। समिति द्वारा विषय मौके पर ही तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और कौशल परीक्षा के समय उपकरणों की उपलब्धता अनुसार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या किसी अन्य शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। कौशल परीक्षा का समय समिति द्वारा तय किए गए समय के अनुसार 15 से 30 मिनट के बीच होगा। कौशल परीक्षा 150 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे। तथापि, कुल अंकों में कौशल परीक्षा का महत्व 15% होगा। कौशल परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाने की संभावना है।

प्रदर्शन परीक्षण : संगीत शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/संगीत को गायन के कौशल, विभिन्न वाद्य संगीत बजाने, प्रस्तुति कौशल, समन्वय, अभिव्यक्ति, ऊर्जा स्तर, ताल, कला रूपों के साथ प्रयोग, कल्पना तथा नवीनता तथा कलात्मक स्वभाव के आधार पर चुना जाएगा।

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/शिल्प और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक/चित्रकला को कला रूपों/चित्रकारी/शिल्प/रेखाचित्र, नवीन और रचनात्मक दृष्टिकोण, सौंदर्यबोध संवेदनशीलता, अवलोकन कौशल, विवेचन और मौलिकता, वास्तविक जीवन के साथ सह संबंध, विभिन्न कला विधाओं और माध्यमों के साथ प्रयोग, आकार और अनुपात में स्पष्टता और रंग का महत्व, संतुलन और चमक के प्रदर्शन पर चुना जाएगा।

समिति द्वारा मौके पर ही तय किए जाएंगे। उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा और प्रदर्शन परीक्षण के स्थान पर उपकरणों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा। प्रदर्शन परीक्षण 100 अंकों का होगा। प्रदर्शन परीक्षण के लिए कोई न्यूनतम योग्यता अंक नहीं होंगे। तथापि, प्रदर्शन परीक्षण का महत्व कुल अंकों का 25% होगा। प्रदर्शन परीक्षण की वीडियो ग्राफी की जाने की संभावना है।

13.14 दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी):

सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर तथा प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू), में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दो या दो से अधिक उम्मीदवारों समान अंक प्राप्त करने के मामले में, उनकी योग्यता की स्थिति आयु मानदंड से निर्धारित की जाएगी, अर्थात् उम्र में बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो बराबरी की स्थिति को दूर करने के लिए उनकी योग्यता की स्थिति नाम के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम (A से Z) के अनुसार तय की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित कर लें कि वे अपने आवेदन पत्र में दर्शाए गए समुदाय/कोटि से संबंधित हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध प्रमाण पत्र को दिखा कर अपने दावे की पुष्टि करनी होगी। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक के दावे के संबंध में कपटपूर्ण दावा करने पर अथवा अनुचित लाभ उठाने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं/भर्तियों में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।

13.15 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन/आरआरबी द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने, शैक्षणिक और समुदाय संबंधी प्रमाण-पत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड केवल सूचीबद्ध उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करते हैं और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासनों द्वारा ही की जाती है। कृपया यह भी ध्यान दें कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) में सफल सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए भेजा जाता है।

14.0 अंकों का सामान्यीकरण :

उम्मीदवारों का चयन सीबीटी और प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (यथा लागू) में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। हालाँकि, कभी-कभी परीक्षाओं को कई सत्रों में आयोजित किया जाता है। जब भी सीबीटी कई सत्रों में आयोजित किया जाता है, तो अंकों का सामान्यीकरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर किया जाएगा।

15.0 आवेदन कैसे करें:

- गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी सूचनाओं एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें।
- उम्मीदवार की योग्यता और आरक्षण कोटि के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड-वार रिक्तियों की जाँच :** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अधिसूचित रिक्तियों का पता लगाने के लिए इस सीईएन में दी गई पद मापदंड तालिका और रिक्ति तालिका की जाँच करें और फिर यह तय करें कि वे किस रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें लें कि जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में वे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वहाँ उनकी शैक्षणिक योग्यता, समुदाय/श्रेणी के लिए आयु, चिकित्सा मानकों, अक्षमता इत्यादि के संदर्भ में उनकी पात्रता के अनुसार रिक्तियाँ हों।
- अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की उपलब्धता और उम्मीदवार की पात्रता का पता लगाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है:
 - पोस्ट पैरामीटर तालिका:-** इस पोस्ट पैरामीटर तालिका से उम्मीदवार उन पद (पदों) का पता लगा सकते हैं जिनके लिए वे योग्यता, अक्षमता के प्रकार जिनके लिए पद योग्य है (पीडब्ल्यूबीडी हों तो) तथा आवश्यक चिकित्सा मानक इत्यादि के अनुसार पात्र हैं।
 - रिक्ति तालिका:** उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार किसी रेलवे भर्ती बोर्ड के सभी अधिसूचित पदों की रिक्तियों का विस्तृत विवरण पता लगाने के लिए, उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की ड्रॉप डाउन सूची से रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात पात्रता

मापदंडों का चयन करते हुए उस रेलवे भर्ती बोर्ड से जुड़ी विभिन्न रेलवे/इकाइयों के अधिसूचित पदों की सभी रिक्तियों को देख सकते हैं।

(iii) रिक्ति तालिका की जाँच करने के बाद, उम्मीदवार अपनी योग्यता/समुदाय/ ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/पूर्व सैनिक कोटि के लिए विद्यमान रिक्तियों की उपलब्धता को विधिवत् सुनिश्चित करने के बाद उस रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन कर सकते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।

(iv) एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन हो जाने के पश्चात्, प्रारंभिक पंजीकरण पूरा हो जाता है और पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी जाती है, इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में रेलवे भर्ती बोर्ड को बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(d) उम्मीदवार पहले नीचे पैरा 15.0 (i) में दी गई रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इस सीईएन के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपना खाता बनाएँ। उम्मीदवारों के पास खाता बनाते समय ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपना एक सक्रिय मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल आईडी का होना आवश्यक है। 'खाता बनाएँ फॉर्म' में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) में खाता बनने के बाद सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन (सीईएन 07/2024) के लिए आवेदन करने के लिए भी उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को खाता बनाने के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए भी उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले एक खाता बनाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। "खाता बनाएँ" फॉर्म में भरा गया विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) खाता बनने के बाद किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है। आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएँ" चरण के दौरान आधार का उपयोग करके अपनी पहचान की पुष्टि करें। यदि वे इसे इस चरण को छोड़ देते हैं, तो वे बाद में अपने आवेदन में विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके आधार को सत्यापित कर सकते हैं। इस कदम से उम्मीदवारों द्वारा भर्ती के विभिन्न चरणों में की जाने वाली प्रक्रिया सुगम हो जाएगी।

(e) उम्मीदवार केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपनी पात्रता के अनुसार किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिसूचित पदों के लिए पैरा 15(ii) पर सूचीबद्ध रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर सीईएन 07/2024 लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने से पहले इस सीईएन की सभी सूचनाएँ और निर्देश पूरी तरह से पढ़ें। आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अधिसूचना की सारी सूचनाओं को अच्छी तरह से समझ लें।

(f) **पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब:** यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं तथा स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए विकल्प चुनें। दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, वे परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों अर्थात् दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मांसपेशीय दुर्बिकता से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार जिनमें विकलांगता 40% से कम नहीं है, में उनके द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है को प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। उनके द्वारा अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद वे परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(F) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए।

यदि आपने स्क्राइब तय कर लिया है, तो उस स्क्राइब का विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि दर्ज करें। इस प्रकार से नियुक्त किया गया स्क्राइब स्वयं उस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है तथा उस स्क्राइब से एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए सेवा नहीं ली जानी चाहिए।

- (g) आवेदन भरने से पहले अनिवार्य दस्तावेजों को स्कैन कर तैयार रखें।
- i उम्मीदवार की हाल ही में खींची गई, स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (हल्के/सफेद रंग की पृष्ठभूमि में जेपीईजी इमेज प्रारूप में माप 40 से 70 केबी) - बिना काला चश्मा और/या टोपी पहने। रंगीन फोटोग्राफ पैरा 15.1 n) (iii) में दिए गए के विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
- ii उम्मीदवार के हस्ताक्षर रनिंग हैंडराइटिंग में होने चाहिए और उसकी स्कैन की गई JPEG इमेज का माप 30 से 70 केबी होना चाहिए। उम्मीदवार के हस्ताक्षर पैरा 15.1 n) (v) में दिए गए के विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए।
- iii अजा/अजजा प्रमाण-पत्र पीडीएफ फार्मेट में (केवल उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा पास के लिए विकल्प दिया है) (500 केबी तक) होना चाहिए।
- iv पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी उपरोक्त विनिर्देशों के अनुसार ही पासपोर्ट आकार की फोटो (ना कि पूरी शरीर की फोटो जैसा अक्षमता प्रमाण पत्र में उपयोग हुई है) अपलोड करनी चाहिए।
- v स्क्राइब : (केवल योग्य पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लागू) स्क्राइब की काले चश्में या टोपी के बिना वर्तमान स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट फोटो (सफेद रंग की पृष्ठभूमि में) (40 केबी से 70 केबी माप की) जेपीईजी इमेज प्रारूप में विधिवत अपलोड करने के बाद उसका विवरण दें। स्क्राइब से संबंधित सूचना देना अनिवार्य है। सामान्यतः परीक्षा स्थल पर स्क्राइब बदलने की अनुमति नहीं है। तथापि, असामान्य परिस्थितियों में परिवर्तन के कारणों को विधिवत दर्ज करने और स्क्राइब की फोटो सहित संबंधित विवरण भरने पर अनुमति दी जा सकती है।
- (h) उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत भारत सरकार के सामान्य सेवा केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सेवा केन्द्र योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का एक अंग है तथा इसे प्रत्येक ग्रामीण पंचायत स्तर पर एक ग्रामीण स्तर के उद्यमी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। देशभर में 1.5 लाख से भी अधिक सामान्य सेवा केन्द्र हैं जो ई-वालेट के माध्यम से शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने तथा शुल्क भुगतान करने के लिए आवश्यक सेवा प्रदान करती हैं। सामान्य सेवा केन्द्रों की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। नजदिकी सामान्य सेवा केन्द्र की जानकारी के लिए कृपया लिंक Find My CSC (<https://findmycsc.nic.in/csc/>) को देखें।
- (i) उम्मीदवार को यह सलाह दी जाता है कि वे प्रामाणिक जानकारी और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना में किसी परिवर्तन की अद्यतन स्थिति के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइटों की सूची

अहमदाबाद https://www.rbahmedabad.gov.in	चेन्नई https://www.rrbchennai.gov.in	मुजफ्फरपुर https://www.rrbmuzaffarpur.gov.in
अजमेर https://www.rrbajmer.gov.in	गोरखपुर https://www.rrbgkp.gov.in	पटना https://www.rrbpatna.gov.in
बंगलुरु https://www.rbbnc.gov.in	गुवाहाटी https://www.rrbguwahati.gov.in	प्रयागराज https://www.rrbald.gov.in
भोपाल https://rrbbhopal.gov.in	जम्मू-श्रीनगर https://www.rrbjammu.nic.in	रांची https://www.rbranchi.gov.in
भुवनेश्वर https://www.rbbbs.gov.in	कोलकाता https://www.rrbkolkata.gov.in	सिकंदराबाद https://rrbsecunderabad.gov.in
बिलासपुर https://rrbbilaspur.gov.in	मालदा https://www.rrbmalda.gov.in	सिलीगुड़ी https://www.rbsiliguri.gov.in
चंडीगढ़ https://www.rrbcdg.gov.in	मुंबई https://www.rbmumbai.gov.in	तिरुवनंतपुरम https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

(j) मूल दस्तावेजों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा।

(k) महत्वपूर्ण:

- I. इस सीईएन में कई पदों और अन्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी पदवार और रेलवे/उत्पादन इकाई(पीयू) के अनुसार वरीयताओं को बहुत सावधानी से दर्शाना आवश्यक है। एक बार ऑनलाइन आवेदन में विकल्प देने के बाद वे अंतिम होंगे और उनमें परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद(पदों) और रेलवे/उत्पादन इकाई (इकाइयों) के लिए विकल्पों को चुनने में सावधानी रखें। रेलवे भर्ती बोर्ड चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, रिक्ति की स्थिति और उनके विकल्पों के अनुसार रेलवे/उत्पादन इकाई के पद आवंटित करेंगे। तथापि, प्रशासनिक अनिवार्यताओं/आवश्यकताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार (उम्मीदवारों) की उपयुक्तता के आधार पर कोई भी पद/रेलवे आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
- II. आंशिक विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों का चयन केवल उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट कोटियों के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि जिन कोटियाँ या सभी कोटियाँ जिनके लिए उनके द्वारा विकल्प नहीं दिए हैं उनके लिए उनकी अनिच्छा मानी जाएगी।
- III. चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संचारित की जाएंगी। अतः उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस सीईएन के बारे में किसी भी परिवर्तन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट लगातार देखते रहें।
- IV. तथापि, उपरोक्त के अतिरिक्त, उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी को सक्रिय रखें, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड से सभी सूचनाएँ केवल एसएमएस और/अथवा ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी।
- V. रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।
- VI. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए/रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ पत्राचार के लिए अपनी पंजीकरण संख्या सावधानी से नोट करके एवं याद करके रखें।
- VII. डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य व अन्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2024 के आलोक में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से पान/सवासी/पनर/तांती-तंतवा जाति के हैं और (बी) केवल बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य से (अस्थायी/स्थायी रूप से) किसी और जगह बस गए हैं, उन्हें अपना 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किया गया नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, जिसमें वे जिस समुदाय और जाति से मूल रूप से वे संबंधित हैं की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।

15.1 ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश और चरण:

उपरोक्त पैरा 15.0 के अनुसार कार्यविधि पूरी करने के पश्चात् निम्नलिखित करें।

- a) 'एप्लाइ' पर क्लिक करें : (खाता बनाएं/और पहले से ही खाता है) ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को **खाता बनाने** के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए भी उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले एक खाता बनाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। **खाता बनने के बाद "खाता बनाएं" फॉर्म में भरा गया विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है।**
- b) **पंजीकरण विवरण:** अपना नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम (सामान्य निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार), माता का नाम, आधार संख्या, एसएसएलसी/मैट्रिक रोल नंबर, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल नंबर और ई-मेल-आईडी भरें और उसके बाद पंजीकरण के लिए जमा करें।

पंजीकरण के लिए जमा करने से पहले, यह सुनिश्चित और पुष्ट करलें कि उपरोक्त दी गई जानकारी सही है, क्योंकि पंजीकरण के लिए दिया गया विवरण बाद में बदला नहीं जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण के लिए उपयोग की गई ई-मेल आईडी स्वयं आपकी होनी चाहिए और अनन्य होनी चाहिए। यह भी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ई-मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ सत्यापित किया जाएगा।

- c) ओटीपी के माध्यम से ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का सत्यापन : प्राथमिक विवरण प्रस्तुत करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी ई-मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को ई-मेल और मोबाइल द्वारा ओटीपी प्राप्त करना होगा और फिर ओटीपी एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आवेदन भरने के लिए और भुगतान करने के लिए आगे बढ़ना होगा।
- d) ओटीपी द्वारा सफल सक्रियण होने पर पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी और उसे पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आगे के संदर्भ के लिए उम्मीदवार अपने पंजीकरण संख्या को नोट करें और संभाल कर रखें। रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार की पंजीकरण संख्या देने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में "खाता बनाएँ" चरण के दौरान आधार का उपयोग करके अपनी पहचान की पुष्टि करें। यदि वे इसे इस चरण को छोड़ देते हैं, तो वे बाद में अपने आवेदन में विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान भी "आधार सत्यापित करें" सुविधा का उपयोग करके आधार को सत्यापित कर सकते हैं। इस कदम से उम्मीदवारों द्वारा भर्ती के विभिन्न चरणों में की जाने वाली प्रक्रिया सुगम हो जाएगी।
- e) उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके होम पेज पर "कैंडिडेट लॉगइन" बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आवेदन के पृष्ठ भाग-1 में, शैक्षणिक योग्यता, समुदाय जैसे कि अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ईडब्ल्यूएस, लिंग, धर्म, भूतपूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आयु में छूट में पात्रता की कोटि का विवरण, जो भी लागू हों और अन्य विवरण भरें।
- f) **भुगतान और बैंक खाता विवरण:** उपरोक्त अनुसार पूरा आवेदन विवरण भरने के बाद उम्मीदवार को पैरा 7.0 के अनुसार भुगतान विधि अर्थात बैंक (ऑनलाइन नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूपीआई) चुनने के लिए और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। भुगतान की विधि का चयन करें और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। अगर ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उम्मीदवार को दूसरी बार भुगतान करना होगा। कृपया भुगतान की प्रत्येक विधि के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय को नोट करें और समय से पहले आवेदन जमा करें।
- g) आवेदन पृष्ठ के भाग-11 में उम्मीदवार को पदों की प्राथमिकता/वरीयता का विवरण भरना होगा।
पदों के लिए प्राथमिकता/वरीयता निर्धारित करें : यदि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरणों के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए पात्र है, तो उसे उन पदों के लिए प्राथमिकता/वरीयता निर्धारित करनी होंगी। उन पदों की सूची (चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में) जिनके लिए एक उम्मीदवार पात्र है, प्रदर्शित की जाएगी। इसी तरह यदि चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में एक से अधिक रेलवे/उत्पादन इकाइयों के लिए रिक्तियाँ हैं, तो जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है उन सभी रेलवे/उत्पादन इकाइयों की रिक्तियाँ को सूचीबद्ध किया जाएगा। उम्मीदवार को, वह जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन कर रहा है, उसके लिए अपनी पात्रता के अनुसार प्रत्येक पद के सामने दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में अपनी प्राथमिकता/ वरीयता संख्या को भरना होगा।
- h) **पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब:** यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं तथा स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए विकल्प चुनें। दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार, यदि चाहें तो, वे परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र प्रस्तुत करने के बाद स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों अर्थात दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मांसपेशीय दुर्विकास से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार जिनमें विकलांगता 40% से कम नहीं है, में उनके द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से यह प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है को प्रस्तुत करने पर स्क्राइब की नियुक्ति की अनुमति दी जा सकती है। उनके द्वारा अनुलग्नक-V(G) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(D) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद वे परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, वे भी परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र

प्रस्तुत करने के बाद और अनुलग्नक-V(F) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं। यदि आपने स्क्राइब तय कर लिया है, तो उस स्क्राइब का विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि दर्ज करें। इस प्रकार से नियुक्त किया गया स्क्राइब स्वयं उस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार परीक्षा दे रहा है तथा उस स्क्राइब से एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए सेवा नहीं ली जानी चाहिए।

- i) **विस्तृत शैक्षणिक योग्यता:** आवेदन में आवश्यक योग्यता संबंधित सभी जानकारी भरें।
- j) **परीक्षा की भाषा का चयन:** परीक्षा के लिए अंग्रेजी डिफॉल्ट भाषा होगी है। यदि उम्मीदवार किसी अन्य भाषा को चुनना चाहता है, तो भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से उसे चुना जा सकता है। भाषाओं की सूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू होंगे। **अंग्रेजी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर/विसंगति/विवाद के मामले में केवल प्रश्नों का अंग्रेजी में दिया गया विवरण ही माना जाएगा।**
- k) बाकी जगहों में अर्थात् मातृभाषा, तिल/पहचान चिन्ह, पता इत्यादि को भरें।
- l) **धन की वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण:** - पैरा 7.0 में उल्लिखित विवरण के अनुसार प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए पात्र होंगे। जिन उम्मीदवारों ने जिस खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया है, उसी खाते में अपना धन वापसी प्राप्त करने की पुष्टि कर दी है, उन्हें इन विवरणों को भरने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए उन्हें यह विवरण दिखाई नहीं देगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने जिस खाते से शुल्क का भुगतान किया है उसमें धन वापसी का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें उस लाभार्थी खाते का विवरण यथा ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना होगा, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं।
- m) उम्मीदवार अन्य संगठनों में भर्ती के लिए उन मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को **साझा करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।**
- n) **फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना :**
 - (i) उम्मीदवार को स्वतः ही आवेदन के 'फोटो और हस्ताक्षर अपलोड' भाग में ले जाया जाएगा।
 - (ii) 'अपलोड फोटो' टैब का चयन करें और अपनी रंगीन फोटो अपलोड करें। फोटो निम्न आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए: -
 - (iii) फोटो के लिए विनिर्देश :
 - a. रंगीन पासपोर्ट फोटो सफेद/हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। पोशाक सफेद नहीं होनी चाहिए, और वह अधिमानतः गहरे रंग की होनी चाहिए। रंगीन फोटो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
 - b. उसका माप 35 मिमी x 45 मिमी या 320 x 240 पिक्सेल होना चाहिए।
 - c. वह न्यूनतम 100 डीपीआई रिजॉल्यूशन के साथ स्कैन की गई जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए।
 - d. फोटो का माप 40-70 केबी के बीच होना चाहिए।
 - e. रंगीन फोटो (नवीनतम फोटो) किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में लिया हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींची गई फोटो और स्वयं के द्वारा बनाई गई पोर्ट्रेट का प्रयोग करने पर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
 - f. फोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट एवं सामने से होना चाहिए तथा वह किसी टोपी और/या हैट और धूप के चश्मे और/या काले चश्मे के बिना होना चाहिए।
 - g. फोटो में कैमरे की ओर देखते हुए पूरा चेहरा होना चाहिए तथा फोटो के कम-से-कम 50% भाग में चेहरा होना चाहिए।
 - h. चेहरे के मुख्य लक्षण सिर के बाल, किसी भी कपड़े या किसी भी परछाई से ढके नहीं होना चाहिए।
 - i. माथा, आंखें, गाल, नाक, गर्दन, ठोड़ी और दोनों कंधे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। इसके अलावा, कोहनी/कोहनी के नीचे का क्षेत्र/छाती के नीचे का हिस्सा फोटो में दिखाई नहीं देना चाहिए। चेहरे का भाव स्वाभाविक होना चाहिए (बिना मुस्कराहट/ भौंहें सिकोड़े/भौंहें ऊपर उठाए), आंखें स्पष्ट रूप से खुली होनी चाहिए और सीधे सामने की ओर होनी चाहिए, चेहरे की मुख्य विशेषताएं सिर के बालों, किसी कपड़े या किसी छाया से ढकी नहीं होनी चाहिए। फोटो उचित रिजॉल्यूशन, ब्राइटनेस, शार्पनेस और निरंतर टोन गुणवत्ता के साथ स्पष्ट होनी चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर/नाम/तारीख या कोई अन्य निशान नहीं होना चाहिए।
 - j. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फोटो में चश्मे पर कोई चमक/परावर्तन नहीं होना चाहिए और आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

- k. सीबीटी, प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा/, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो), दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के समय खींची गई फ़ोटो में आवेदक के चेहरे की सभी विशेषताएँ ऑनलाइन आवेदन के समय दी गई फ़ोटो में चेहरे की विशेषताओं से मेल खानी चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार की इन फ़ोटों में चेहरे की विशेषताएं मेल नहीं खाती हैं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, कानूनी मुकदमा भी चलाया जा सकता है और उम्मीदवार को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा रेलवे की सभी भर्तियों से आजीवन के लिए वंचित किया जाएगा। इसके अलावा, सीबीटी, प्रदर्शन परीक्षण शिक्षण/कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो), दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई फ़ोटो आईडी पर लगी फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएं और ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो में चेहरे की विशेषताएं एक जैसी होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फ़ोटो पहचान पत्र को हाल ही में ली गई अपनी फ़ोटो के साथ अपडेट करवा लें।
- l. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल ऊपर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, न कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में उपयोग किए गए पूरे शरीर का फ़ोटो।
- m. प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षण, अनुवाद परीक्षण (जैसा लागू हो), दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण में उपयोग के उद्देश्य से, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो की कम से कम 12 प्रतियां अपने पास रखें।

(iv) अपलोड सिग्नेचर टैब चुनें और अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर की इमेज निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

(v) **हस्ताक्षर की इमेज के लिए विनिर्देश:**

- आवेदक को केवल काले रंग की स्याही से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।
- हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होना चाहिए और बड़े/ब्लॉक अक्षरों में नहीं होना चाहिए।
- इमेज न्यूनतम 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन के साथ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।
- इसका माप 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।(अधिमानित)
- फ़ाइल का माप 30 केबी से 70 केबी के बीच होना चाहिए।
- हस्ताक्षर की छवि उचित रिजोल्यूशन की होनी चाहिए तथा हस्ताक्षर की पूरी छवि ऑनलाइन आवेदन के संबंधित बॉक्स के मध्य में दिखाई देनी चाहिए।

नोट :

- हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा होने चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- आवेदकों के पंजीकरण के दौरान किए गए हस्ताक्षर और सीबीटी/ प्रदर्शन परीक्षण/अध्यापन कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षा के समय लिए गए हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।
- यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर का मेल नहीं खाते हैं, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीदवार को रेलवे की भर्तियों (रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) में उपस्थित होने के लिए जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

(vi) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र अपलोड करना:**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के वे उम्मीदवार, जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा के लिए विकल्प दिया है, उन्हें (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए और निःशुल्क यात्रा प्राधिकार के लिए अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र (पीडीएफ फॉर्मेट, 500 केबी तक) की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। प्रमाण पत्र वैध, सुपाठ्य, स्पष्ट, नवीनतम और निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए।

ध्यान दें : यदि फ़ोटो, हस्ताक्षर और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय प्रमाण-पत्र के लिए फ़ाइल का माप और प्रारूप निर्धारित निर्देशों के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।

O) आवेदन जमा करना:

अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी “मैं एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने आवेदित पद(पदों) के लिए पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है और मैं इसमें दी गई आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ तथा आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया या दबाया नहीं गया है। मैं यह भी भलीभाँति जानता हूँ कि यदि किसी भी मामले में मेरे द्वारा दिया गया कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके पश्चात् असत्य पाया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड मुझे आवेदित पद (पदों) के लिए अयोग्य घोषित करेगा और/या वर्तमान नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।”

उपर्युक्त घोषणा की पुष्टि करने और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवार फाइल को “पीडीएफ” के रूप में रख सकता है और/या आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित कर सकता है।

16.0 आवेदन में सुधार करना:

- (a) ऑनलाइन आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार **खाता बनाएं फॉर्म (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) में भरे गए विवरण और रेलवे भर्ती बोर्ड के चयन के अलावा किसी भी विवरण को संशोधित, परिवर्तित या सही करना चाहता है,** तो वह प्रत्येक अवसर के लिए 250/- रूपए (अप्रतिदेय) का संशोधन शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है। **खाता बनाएं फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित) और चुने हुए रेलवे भर्ती बोर्ड को बदला नहीं जा सकता।**
- (b) संशोधन शुल्क, छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा।
- (c) उम्मीदवार द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से अनारक्षित या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में उसे परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात् 250/- रूपए का भुगतान संशोधन शुल्क के अलावा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (d) इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग(नॉन क्रीमी लेयर)/ईडब्ल्यूएस/अन्य भूतपूर्व सैनिक आदि श्रेणी के लिए परिवर्तन कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् 250/- रूपए का भुगतान संशोधन शुल्क के अलावा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (e) हर बार संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी बार भी संशोधन किया जा सकता है।
- (f) इस सीईएन के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **08/02/2025** से 10(दस) दिन बाद तक संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अनुमति दी जाएगी। संशोधन विंडो **09/02/2025** से **18/02/2025** तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए कोई भी अभ्यावेदन रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा मान्य नहीं होगा।

17.0 अमान्य आवेदन / आवेदन का निरस्तीकरण :

(a) निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं:

- (i) विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एक से अधिक आवेदन। ऐसे मामलों में सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा।
- (ii) अमान्य फोटो (अर्थात् फोटो का निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार नहीं होना) जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, 2 महीने से पुराना फोटो, टोपी/चश्मा/हेलमेट/गोगलज़/हेट/काला चश्मा पहने हुए फोटो, विकृत किया हुआ फोटो, समग्र फ्रेम के आकार की तुलना में छोटे आकार का फोटो, फोटो की डार्क पृष्ठभूमि /ध्यान भटकाने वाली पृष्ठभूमि/फोटो की पृष्ठभूमि का सफेद/हल्का न होना, पूरे शरीर का फोटो, फोटो में चेहरे का केवल एक तरफ का दृश्य, पहचान में न आने वाला फोटो, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, समूह फोटो, सेल्फी फोटो, मोबाइल से लिया गया फोटो, रूपांतरित फोटो, फोटो की पृष्ठभूमि में /सिर के पीछे ध्यान भटकाने वाली छाया, कोहनी और/या कोहनी के नीचे का हिस्सा और/या छाती के नीचे का हिस्सा दिखाने वाली फोटो, फोटो में सिर/कंधा झुका हुआ होना, एक ओर का/ एक ओर झुके हुए दृश्य वाला फोटो, फोटो जिसमें सिर ऊपर की ओर/नीचे की ओर/एक ओर मुड़ा हुआ हो, फोटो में चेहरे पर/ चेहरे के आर पार ध्यान भटकाने वाली छाया, पूरी तरह बंद आंखों वाली फोटो, फोटो में नीचे/एक ओर झुक कर देखते हुए होना, फोटो में आंखों/चेहरे पर बाल होना, फोटो में चश्मों के कांच पर चमक होना, खराब रिज़ॉल्यूशन/ब्राइटनेस/शार्पनेस/धुंधला/धुले हुए रंग वाला फोटो, पिक्सलेटेड फोटो, फोटो में अप्राकृतिक

स्कैन टोन होना, फोटो पर हस्ताक्षर या नाम या तारीख या किसी अन्य निशान का होना या क्षतिग्रस्त (फटे, मुड़े, चिह्नित) होना, फोटो में उलटी छवि, बिना छवि की फोटो आदि और फोटो के बिना ऑनलाइन आवेदन आदि।

- (iii) अमान्य हस्ताक्षर (निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न होना) जैसे कि रनिंग अक्षरों के स्थान पर कैपिटल/ब्लॉक अक्षर में हस्ताक्षर, खराब रेसोल्यूशन, अधूरी छवि, अपूर्ण हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के अलावा अन्य छवि, कोई हस्ताक्षर नहीं (रिक्त) छवि होना इत्यादि।
 - (iv) अपूर्ण या गलत तरीके से भरा गया आवेदन।
 - (v) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक **06/02/2025** तक पद(पदों) के लिए निर्धारित योग्यता नहीं होना।
 - (vi) निर्धारित आयु से अधिक या कम आयु होना अथवा जन्म तिथि को गलत तरह से भरने के कारण।
 - (vii) उम्मीदवार का नाम किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की किसी बहिष्कृत सूची में आना।
 - (viii) जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या कोई अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
 - (ix) कोई अन्य अनियमितता जो रेलवे भर्ती बोर्ड के ध्यान में आए और उसके द्वारा अमान्य मानी जाए।
- (b) **निरस्त आवेदन:** उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों से अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। यदि आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार आवेदन के निरस्त होने के कारण देख पाएँगे। आवेदन का निरस्तीकरण अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के निरस्तीकरण के कारण परीक्षा शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएँगे। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

18.0 ई-बुलावा पत्र संबंधी निर्देश:

- (a) सीबीटी शैड्यूल/प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा कागजात सत्यापन के संबंध में जानकारी और विवरण और ई-बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक संबंधित आरआरबी की वेबसाइटों पर दी जाएगी। यह सूचना सभी योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल द्वारा भी भेजी जाएगी। तथापि, उम्मीदवार नियमित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट को देखें, क्योंकि कुछ ऐसे कारणों से जिन पर रेलवे भर्ती बोर्ड का नियंत्रण ना हो, उम्मीदवारों को एसएमएस और ई-मेल को भेजने में विफलता हो सकती है।
- (b) योग्य उम्मीदवार सीबीटी/प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (यथा लागू) जैसा पैरा 15.0 में दी गई आरआरबी की वेबसाइटों से अपना ई-बुलावा पत्र (और स्क्राइब का ई-बुलावा पत्र जहां लागू हो) सीबीटी/प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (यथा लागू) से लगभग चार (04) दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तथापि, परीक्षा शहर की सूचना सीबीटी/प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (यथा लागू) के 10 दस दिन पहले दी जाएगी।
- (c) डाक के द्वारा कोई भी बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।
- (d) ई-बुलावा पत्र के साथ सीबीटी से संबंधित विस्तारपूर्वक सूचना और निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को ई-बुलावा पत्र के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- (e) **निःशुल्क यात्रा सुविधा :** जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार मुफ्त ट्रेन यात्रा के पात्र हैं, उनके ई-बुलावा पत्र में ही निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) शामिल होगा। ऐसे उम्मीदवार को ई-बुलावा पत्र और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के बाद टिकट आरक्षित करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान इन उम्मीदवारों को **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मूल प्रमाण पत्र के साथ अपना निर्दिष्ट मूल पहचान पत्र** साथ रखना होगा, और ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा। यह **निःशुल्क यात्रा प्राधिकार का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, ऐसा न करने पर टिकट आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकार अस्वीकृत हो सकता है।**
- (f) उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में ई-बुलावा पत्र के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे कि मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट (आधार की फोटो कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र (अगर वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं) की मूल प्रति लानी होगी। इसमें विफल होने पर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(g) उम्मीदवारों को, उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो जो उनके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की गई थी, की एक प्रति सीबीटी/दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण और प्रदर्शन परीक्षण/शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (यथा लागू) में शामिल होने के लिए अवश्य ही लाना होगा।

19.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों के प्रारूप:

(a) दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट/सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की दो स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज (यथा लागू) जो उम्मीदवारों द्वारा सत्यापन के लिए मूल रूप में लाए जाने हैं वे निम्नानुसार हैं:

- (i) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र या समतुल्य प्रमाण-पत्र। (आवेदन में उल्लेख किए गए उम्मीदवार के नाम, माता/पिता का नाम इस प्रमाण-पत्र में दिए गए नाम से मेल खाने चाहिए।)
 - (ii) 10+2/इंटर/हायर सेकेंडरी/पीयूसी (यथा लागू)।
 - (iii) डिप्लोमा/मास्टर डिग्री/डिग्री/पीजी डिप्लोमा/एमबीए/शिल्प कौशल प्रमाण-पत्र/टीईटी (जहाँ लागू हो) या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो पदों के मानदंड के अनुसार आवश्यक हो।
 - (iv) अनुलग्नक-I के अनुसार प्रारूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र।
 - (v) अनुलग्नक-II के अनुसार प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण-पत्र।
 - (vi) अनुलग्नक-II A के अनुसार प्रारूप में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा नॉन क्रीमी लेयर की घोषणा।
 - (vii) अनुलग्नक-III के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (viii) अनुलग्नक-IIIA के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाण-पत्र।
 - (ix) अनुलग्नक-IV के अनुसार नॉन जुडीशियल स्टैप पेपर पर अल्प संख्यक समुदाय की घोषणा।
 - (x) भूतपूर्व सैनिकों के लिए मूल विमुक्ति प्रमाण-पत्र।
 - (xi) यथा लागू अनुलग्नक-V(A), अनुलग्नक-V(B), अनुलग्नक-V(C), अनुलग्नक-V(E), अनुलग्नक-V(G) के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र।
 - (xii) अनुलग्नक-VI के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-घोषणा।
 - (xiii) नियुक्ति की तारीख के साथ कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (xiv) अनुलग्नक-VI (A) के अनुसार सेवारत रक्षाकर्मियों के लिए सेवा मुक्ति की संभावित तारीख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
 - (xv) पैरा 1.7 में बताए अनुसार औपचारिक नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्रित अधिसूचना और/ या अन्य कानूनी दस्तावेज।
 - (xvi) ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्व-प्रमाणन।
 - (xvii) पैरा 4.1(f) के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र।
 - (xviii) यथा लागू सक्षम न्यायालय से तलाक/कानूनी वियोजन की डिक्री और इस संबंध में उम्मीदवार शपथ-पत्र कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
 - (xix) विधवा उम्मीदवार के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और इस संबंध में उम्मीदवार शपथ-पत्र कि उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
 - (xx) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस सीईएन के लिए आवेदन करने के बाद असैनिक रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के बाद जल्द-से-जल्द संबंधित नियोक्ता को इस सीईएन के अंतर्गत दिए गए आवेदन के विवरण के बारे में स्व-घोषणा देनी होगी। दस्तावेज सत्यापन के समय इस घोषणा की पावती सहित कॉपी के साथ असैनिक नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) साथ ही इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि से पहले फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन प्रतियाँ (मूल रंग में) <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv> के माध्यम से अपलोड करनी होंगी।
- (c) सभी प्रमाण-पत्र केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। यदि प्रमाण-पत्र हिंदी/अंग्रेजी में नहीं हों तो जहाँ/जब भी आवश्यक हो उनका स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी) में प्रस्तुत करना होगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही होना चाहिए।
- (d) दस्तावेज सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

(e) जो उम्मीदवारों दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे वे अपनी उम्मीदवारी निरस्त कर देंगे।

नोट/ध्यान दें :

1. वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों/या आयु सीमा में छूट के लिए विचारणीय होना चाहते हैं, वे दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति अवश्य ही जमा करें। अन्यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन क्रीमी लेयर/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके पात्र होने पर उनकी उम्मीदवारी/आवेदन को अनारक्षित (अना) समुदाय के लिए माना जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार ही होना चाहिए।
2. डॉ. भीम राव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य व अन्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 18802/2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.07.2024 के आलोक में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवार जो (ए) मूल रूप से पान/सवासी/पनर/तांती-तंतवा जाति के हैं और (बी) केवल बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य से (अस्थायी/स्थायी रूप से) किसी और जगह बस गए हैं, उन्हें अपना 01.12.2024 को या उसके बाद जारी किया गया नवीनतम जाति प्रमाण पत्र, जिसमें वे जिस समुदाय और जाति से मूल रूप से वे संबंधित हैं की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति अपलोड करनी होगी।
3. शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे कि अंतिम/ नियमित डिप्लोमा/मास्टर डिग्री/डिग्री पीजी डिप्लोमा/एमबीए/शिल्प कौशल प्रमाण पत्र/शिक्षक पात्रता परीक्षा (जहाँ लागू) अथवा पदों के मानदंड (जहाँ लागू) के अनुसार आवश्यक किसी अन्य प्रमाण-पत्र में जारी करने की तिथि होनी चाहिए। यदि इन प्रमाण पत्रों को जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा की घोषणा की तिथि के साथ समेकित मार्कशीट या प्रत्येक सेमेस्टर/वर्ष के परिणाम की घोषणा की तिथि के साथ सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग मार्कशीट जमा की जानी चाहिए। इन प्रमाण-पत्रों में तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था/विश्वविद्यालय/प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (जिसमें परिणाम के जारी होने की तिथि अंकित हो) दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

20.0 अनुचित क्रियाओं का प्रयोग:

- (a) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित युक्ति जैसे जालसाजी, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का दुरुपयोग करना अथवा उपयोग करने का प्रयास करना, तथ्यों को दबाना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना, गलत जानकारी प्रदान करना या गलत दस्तावेज अथवा जानकारी प्रस्तुत करना आदि का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने के लिए भेजता है, प्रतिरूपण करने का प्रयास करता है, तो उस पर रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सभी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [आपका ध्यान दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा" (अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु) अधिनियम, 2024 की ओर आकर्षित किया जाता है] जो sansad.in/legislation/bills पर उपलब्ध है और भारत के राजपत्र dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।
- (b) रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई गलत सूचना देने या किसी भी चरण में किसी सूचना को जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या अन्य किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो उस उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (c) यदि कोई उम्मीदवार पात्रता प्राप्त करने और/या परीक्षा में शामिल होने के लिए निःशुल्क यात्रा सहित अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली/नकली प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करते हुए पाया जाता है, तो उस विशेष भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी

को अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा यथोचित संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 2 वर्ष/या आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो, नए प्रावधान के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

- (d) भर्ती के संबंध में उम्मीदवार अपने हित के लिए किसी राजनैतिक या किसी अन्य प्रभाव का प्रयत्न या प्रयास नहीं करेगा। ऐसा करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (e) उम्मीदवार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को अग्रसित करने के लिए प्रचार करने पर, अवांछित या अनुचित प्रभाव का उपयोग करने में लिप्त पाए जाने पर उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और डीबार कर दिया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ कानून के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

21.0 विविध:

- (a) भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उम्मीदवार का बायोमेट्रिक विवरण को दर्ज किया जाएगा। किसी भी प्रकार के बेमेल होने पर, संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने एवं उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (b) रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण प्रक्रियाओं को आयोजित करने का और उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जांच करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- (c) आवश्यकता होने पर रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी चरण में अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा/प्रदर्शन परीक्षण/कौशल परीक्षा/अनुवाद परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा (जहाँ लागू हो) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना किसी कारण बताए इस सीईएन अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया या उसके किसी भी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (d) पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन इत्यादि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड से कुछ भी पूछताछ या पत्राचार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- (e) रेलवे भर्ती बोर्ड असावधानीवश हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- (f) इस सीईएन से उत्पन्न होने वाला कोई भी कानूनी मुद्दा उस संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के न्यायाधिकार क्षेत्र में आएगा जिसके अंतर्गत संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है।
- (g) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के अंतर्गत जारी किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/सूचना के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को देखें, ताकि उन्हें उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।

हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों के निर्वचन के संबंध में कोई भी विवाद होने पर इस अधिसूचना का रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर प्रकाशित किया गया अंग्रेजी संस्करण अंतिम होगा।

22.0 इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) में प्रयोग हुए संक्षिप्त रूप :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी: कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टीईटी : शिक्षक पात्रता परीक्षा, पीटी : प्रदर्शन परीक्षण, टीएसटी : शिक्षण कौशल परीक्षा, टीटी : अनुवाद परीक्षा, डीवी : दस्तावेज़ सत्यापन
आरक्षण/आयु में छूट की कोटि	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूपू-सै = भूतपूर्व सैनिक, अपिव-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-क्रीमी लेयर, अपिव-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर, अजा= अनुसूचित जाति, अजजा = अनुसूचित जनजाति, अना = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांगताएं	आर-वीआई = नियमित दृष्टि बाधिता, आर-एचआई = नियमित श्रवण बाधिता, आर-एलडी = नियमित लोकोमोटर दिव्यांगता, आर-ओडी = नियमित अन्य अक्षमता, आर-एमडी = नियमित बहु विकलांगता, बी-वीआई = बैकलॉग दृष्टि बाधिता, बी-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधिता, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर दिव्यांगता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य अक्षमता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अक्षमता, एएवी = एसिड हमले के शिकार, एसडी = स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बी = नेत्रहीन, बीएल = दोनों पैर, डी = बधिर, डीडब्ल्यू = बौनापन, एचएच = श्रवण बाधिता, एचआई = श्रवण बाधिता, आईडी = बैद्धिक दिव्यांगता, एलसी = कुष्ठरोग उपचारित, एलडी = लोकोमोटर दिव्यांगता, एलवी = कमजोर दृष्टि, एमडी = मांसपेशीय दुर्विकास, एमडी = बहु विकलांगता, एमडब्ल्यू = मांसपेशीय कमजोरी, ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ व एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, वीआई = दृष्टिहीनता, एसआई = रीढ़ की हड्डी में चोट, एसडी = रीढ़ की हड्डी में विकृति।
रेलवे जोन /उत्पादन ईकाई/संगठन	सीएलडब्ल्यू = चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस, चितरंजन; म.रे.= मध्य रेलवे, बीएलडब्ल्यू = बनारस लोकोमोटिव वर्कस, वाराणसी; पीएलडब्ल्यू = पटियाला लोकोमोटिव वर्कस, पटियाला; पू.रे.= पूर्व रेलवे, पू.म.रे. = पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे.= पूर्व तट रेलवे, आईसीएफ = इन्टीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई; मेट्रो रेलवे कोलकाता, एनएआईआर = भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, उ.रे.= उत्तर रेलवे, उ.म.रे. = उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वो.रे.= पूर्वोत्तर रेलवे, पू.सी.रे.= पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, उ.प.रे. = उत्तर पश्चिम रेलवे, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, आरसीएफ = रेल कोच फैक्टरी, कपुरथला; आरडीएसओ = अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ; रे=रेलवे, आरआरबी = रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी = रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, आरडब्ल्यूएफ = रेल पहिया फैक्टरी, बेंगलूरू; आरडब्ल्यूपी = रेल व्हील प्लांट, बेला; द.रे.= दक्षिण रेलवे, द.म.रे. = दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.= दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.= दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.= दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे. = पश्चिम रेलवे, प.म.रे. = पश्चिम मध्य रेलवे
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, पीआरवायजे=प्रयागराज, बीसीटी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएलएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, केओएल=कोलकाता, एमएस=चेन्नई, एमएलडीटी=मालदा, एमएफपी=मुज़फ्फरपुर, पीएनबीडी/पीएटी =पटना, आरएनसी=रांची, बीएनसी=बेंगलूरू, एससी=सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुड़ी, टीवीसी=तिरुवनंतपुरम
सामान्य	सीबीएसई= केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन= केंद्रीयकृत रोजगार सूचना, जीपी= ग्रेड वेतन, आईएफएससी= इंडियन फैनान्शियल सिस्टम कोड, जेपीईजी= जाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.बी.= किलो बाइट, एलटीआई= बाएं अंगूठे का निशान, ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड, यूपीआई= यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस

चेतावनी:

प्रभाव दिखाकर या अनुचित और अनैतिक तरीकों के प्रयोग द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने की झूठी आशा दिला कर छलने वाले दलालों और नौकरी दिलाने की घोटालेबाजी करने वालों से सावधान रहें। रेलवे ने अपनी जगह इस हेतु किसी एजेंट या कोचिंग केंद्र की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/ एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर ही होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने की कोशिश करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें और अनैतिक तत्वों/दलालों द्वारा बनाई गई जाली वेबसाइटों और सोशियल मीडिया पर डाली गई सामग्री से सावधान रहें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..... का/की सुपुत्र/सुपुत्री*, जो गांव/शहर..... जिला/मंडल*.....राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* के/की निवासी हैं और जाति*/जनजाति से संबंधित है, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- @ संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- @ संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- @ संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग ग राज्य) आदेश 1951.
- @ संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग ग राज्य) आदेश 1951.
- [जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976]
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956.
- @ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962.
- @ संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962.
- @ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.
- @ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- @ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.
- @ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- @ संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- @ संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- @ संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002
- @ समय समय पर किया जाने वाला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- %2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं उनके मामले में लागू।
- यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*..... जिनकी सुपुत्र/सुपुत्री*, श्री/श्रीमती है और जो गांव /शहर..... जिला/मंडल*.....राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* वासी, के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो..... जाति/जनजाति से संबंधित है, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में दिनांकसे मान्यता प्राप्त है।
- %3. श्री/श्रीमती/कुमारी*..... और/या उसका* परिवार.....जिला/प्रभाग* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में सामान्यतः निवास करता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पदनाम.....

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

(कार्यालय की मुहर के साथ)

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

नोटः(क) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट /सिटी मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी से नीचे नहीं) क्लास वजीफा मजिस्ट्रेट)।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद के स्तर से नीचे न हों।
4. उस क्षेत्र का उप-प्रभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)

अन्य पिछड़ा वर्ग(एनसीएल) प्रमाण-पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....श्री/श्रीमती..... का/की सुपुत्र/सुपुत्री* जो गांव/नगर *..... जिला/मंडल*..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प क्रमांक.....दिनांक.....** के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और/या उसका* परिवार.....जिला/मंडल* राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में सामान्यतः निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक : 08/09/93 की कार्यालय जापन संख्या 36012/22/93-स्था इएसटीटी. (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) को भारत सरकार के डीओपीटी की दिनांक 13/09/2017*** की कार्यालय जापन संख्या 36033/1/2013-स्था(आरईएस.) द्वारा संशोधित करने के बाद उन व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक.....

जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय मुहर

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

** प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में दर्शाई गई है।

*** समय-समय पर यथासंशोधित।

ध्यान दें :

(क) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(ख) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं :

- जिला मजिस्ट्रेट/ अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त(प्रथम श्रेणी स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी, जो उस क्षेत्र, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है, के तहसीलदार और उप प्रभागीय अधिकारी के पद के स्तर से नीचे न हो।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा स्व-घोषणा

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना संख्या 07/2024 के तहत पदों के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली स्व-घोषणा के लिए प्रारूप

“मैं, श्री का सुपुत्र सुपुत्री..... गांव/कस्बे/शहर
....., जिला..... राज्य का निवासी एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं, कि मैं
(अपनी उपजाति बताएं) समुदाय से हूं जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93- स्थापना-
ईएसटी।(एससीटी) दिनांक 08.09.93 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा
वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपरोक्त दिनांक : 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के
कॉलम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) को भारत सरकार के डीओपीटी की दिनांक 13/09/2017*** की कार्यालय ज्ञापन संख्या
36033/1/2013-स्था(आरईएस.) द्वारा संशोधित करने के बाद उन व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

दिनांक :

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर:.....

उम्मीदवार का नाम:.....

आरआरबी पंजीकरण संख्या:.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

..... सरकार
(प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण पत्र संख्या.....

दिनांक.....

..... वर्ष के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी का/की सुपुत्र/ सुपुत्री/पत्नी गाँव/गली डाकघर जिला..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश..... पिन कोड.....का स्थायी निवासी है और जिसका फोटो नीचे सत्यापित किया गया है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है, क्योंकि उसके "परिवार"*** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष..... के लिए रु. 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***।

- (i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
- (ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
- (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
- (iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....की जाति..... है जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
इस प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**नोट 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के संबंध में भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगह/शहरों में "परिवार" की संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ प्रथम श्रेणी स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- (iv) उस क्षेत्र का उप-प्रभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 07/2024 के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली परीक्षा शुल्क की छूट के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप ।

प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक.....

1. उम्मीदवार का नाम:.....
2. पिता का नाम:.....
3. आयु.....
4. आवासीय पता:
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों और अंकों में)

दिनांक:.....

हस्ताक्षर

नाम:

जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर:

ध्यान दें : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) अर्थात वे उम्मीदवार होंगे जिनकी पारिवारिक आय रु 50,000 प्रतिवर्ष से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं:

- (1) जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो
- (2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान सांसद
- (3) उस जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा के वर्तमान सांसद, जहां ये सांसद सामान्य रूप से रहते हैं।
- (4) किसी भी व्यक्ति के लिए जो कहीं से भी हो उसके लिए देश का केंद्रीय मंत्री।

घोषणा

केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 07/2024 के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा शुल्क की छूट के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप।

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....श्री.....का सुपुत्र/ सुपुत्री.....
गांव/कस्बे/शहर....., जिला..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेशका निवासी यह
घोषणा करता/करती हूँ कि मैं(केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम/ सिख/ईसाई/ बौद्ध
जैन/जोरास्ट्रियन(पारसी) को दर्शाएं) से संबंधित हूँ।

दिनांक:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

स्थान:

उम्मीदवार का नाम.....

ध्यान दें : परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय नॉन जुडीशीयल स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' हलफनामा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध/जैन/पारसी) से हैं।

फार्म-V

दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनापन और अंधपन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाण पत्र संख्या:..... दिनांक:.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....जन्मतिथि.....(तारीख

/महीना/वर्ष), आयुवर्ष, पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या....., मकान

नम्बर.....वार्ड/गांव/गलीडाकघर....., जिला.....,राज्य.....का स्थाई निवासी है, और

जिसका फोटो ऊपर लगाया गया है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(क) यह निम्नलिखित का मामला है:

*लोकोमोटर दिव्यांगता

*बौनापन

*अंधापन

(कृपया जो लागू हो उस पर टिक करें)

(ख) उसके मामले में निदान..... है।

(1) दिशानिर्देश के अनुसार (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख निर्दिष्ट किया जाए) उसके(शरीर का हिस्सा) में% (अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थाई लोकोमोटर दिव्यांगता/बौनापन/अंधापन है।

(2) आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)

फार्म-VI

दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
(बहु दिव्यांगता के मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण पत्र संख्या:..... दिनांक:.....

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी....., जन्मतिथि.....(तारीख
/महीना/वर्ष), आयु वर्ष, पुरुष/महिला.....पंजीकरण
संख्या.....,मकान नम्बर.....वार्ड/गांव/गली डाकघर....., जिला.....,
राज्य..... का स्थाई निवासी हैं और जिसका फोटो ऊपर लगाया गया है उसकी सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट
हूँ कि:

दिव्यांग व्यक्ति का हाल
ही में खींचा हुआ
पासपोर्ट आकर का
प्रमाणित फोटो
(जिसमें केवल चेहरा
दिखे)

- (क) यह बहु दिव्यांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक क्षीणता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दी गई दिव्यांगता के लिए दिशानिर्देशों..... (दशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षीणता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	Locomotor Disability लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	Muscular Dystrophy मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी			
3	Leprosy cured कुष्ठ रोग से ठीक हुआ			
4	Dwarfism बौनापन			
5	Cerebral Palsy मस्तिष्क पक्षाघात			
6	Acid attack victim एसिड अटैक पीड़ित			
7	Low Vision कमजोर दृष्टि	#		
8	Blindness अंधापन	#		
9	Deaf बहरा	£		
10	Hard of Hearing सुनने में कठिनाई	£		
11	Speech and Language Disability वाणी और भाषा दिव्यांगता			
12	Intellectual Disability बौद्धिक दिव्यांगता			
13	Specific Learning Disability विशिष्ट सीखने की अक्षमता			

14	Autism Spectrum Disorder ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15	Mental Illness मानसिक बीमारी			
16	Chronic Neurological Conditions क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
17	Multiple Sclerosis मल्टिपल स्क्लेरोसिस			
18	Parkinson's Disease पार्किंसंस रोग			
19	Hemophilia हिमोफिलिया			
20	Thalassemia थैलासीमिया			
21	Sickel Cell disease सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त को देखते हुए (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी सब मिलाकर स्थायी शारीरिक दिव्यांगता, इस प्रकार है:

अंकों में.....प्रतिशत, शब्दों में:..... प्रतिशत

2. यह स्थिति बढ़ सकती है/नहीं बढ़ सकती है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

1) आवश्यक नहीं है, या 11) की वर्षमहीने के बाद, सिफारिश की जाती है, और इसलिए यह प्रमाण पत्र(दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

उदाहरण के लिए @ बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर # एक आँख/दोनों आँखें; £ बाएँ/दाएँ/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

फार्म-VII

दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

(फार्म-V और फार्म-VI में उल्लेखित मामलों के अलावा अन्य के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण पत्र संख्या:.....

दिनांक:.....

दिव्यांग व्यक्ति का
हाल
ही में खींचा हुआ
पासपोर्ट आकर का
प्रमाणित फोटो
(जिसमें केवल चेहरा
दिखे)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी....., जन्मतिथि.....(तारीख
/महीना/वर्ष), आयुवर्ष, पुरुष/महिला.....पंजीकरण संख्या.....,
मकान नम्बर....., वार्ड/गांव/गली....., डाकघर....., जिला.....,
राज्य.....का स्थाई निवासी हैं और जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है उसकी सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं
संतुष्ट हूँ कि:

- (क) यह दिव्यांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक क्षीणता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन दिव्यांगता के लिए
दिशानिर्देशों..... (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई
तालिका में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने दिखाया गया है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षीणता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	Locomotor Disability लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	Muscular Dystrophy मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी			
3	Leprosy cured कुष्ठ रोग से ठीक हुआ			
4	Cerebral Palsy मस्तिष्क पक्षाघात			
5	Acid attack victim एसिड अटैक पीड़ित			
6	Low Vision कमजोर दृष्टि	#		
7	Deaf बहरा	£		
8	Hard of Hearing सुनने में कठिनाई	£		
9	Speech and Language वाणी और भाषा दिव्यांगता			
10	Intellectual Disability बौद्धिक दिव्यांगता			
11	Specific Learning Disability विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
12	Autism Spectrum Disorder ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13	Mental Illness मानसिक बीमारी			

14	Chronic Neurological Conditions क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
15	Multiple Sclerosis मल्टिपल स्क्लेरोसिस			
16	Parkinson's Disease पार्किंसंस रोग			
17	Hemophilia हिमोफिलिया			
18	Thalassemia थैलासीमिया			
19	Sickle Cell disease सिकल सेल रोग			

(ख) उपरोक्त को देखते हुए (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और तारीख) के अनुसार उसकी सब मिलाकर स्थायी शारीरिक दिव्यांगता, इस प्रकार है:

अंकों में.....प्रतिशत, शब्दों में:..... प्रतिशत

2. यह स्थिति बढ़ सकती है/नहीं बढ़ सकती है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

1) आवश्यक नहीं है, या 11) की वर्षमहीने के बाद, सिफारिश की जाती है, और इसलिए यह प्रमाण पत्र(दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।

उदाहरण के लिए @ बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर # एक आँख/दोनों आँखें; £ बाएँ/दाएँ/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज का प्रकार	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित[सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमाण पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने की स्थिति में सरकारी अस्पताल के प्रमुख की मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर]

अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

ध्यान दें : यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा। मुख्य नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्क्राइब का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

ध्यान दें : स्क्राइब की सुविधा निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में ली जा सकती है:

- (i) दृष्टिहीनता, गति-संचालन विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित) और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवार।
- (ii) बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों अर्थात दृष्टिबाधित (VI) उम्मीदवार/ऐसे उम्मीदवार जिनकी लेखन गति मांसपेशीय दुर्विकास से प्रभावित है/लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार जिनमें विकलांगता 40% से कम नहीं है, में उनके द्वारा किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से अनुलग्नक-V(G) के अनुसार यह प्रमाण पत्र कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है को प्रस्तुत करने पर।
- (iii) 40% से कम विकलांगता वाले दिव्यांगजन (जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं) और जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, यदि वे परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-V(E) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

- उम्मीदवार का नाम.....
- रोल नम्बर.....
- सीबीटी केंद्र का नाम.....
- उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता.....
- दिव्यांगता प्रकार.....
- स्क्राइब का नाम
- स्क्राइब की जन्म तिथि
- स्क्राइब के पिता का नाम.....
फोटो के नीचे उपरोक्त बॉक्स
- स्क्राइब का पता:
(a) स्थायी पता
- (b) वर्तमान पता.....
- स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता.....
- उम्मीदवार के साथ स्क्राइब का संबंध, यदि कोई हो.....

स्क्राइब का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का 3.5 सेमी x 4.5 सेमी का रंगीन फोटो
(जो तीन महीने से ज्यादा पुराना ना हो)

उपरोक्त बॉक्स में फोटो के नीचे स्क्राइब के हस्ताक्षर

12. घोषणा:

- हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त उम्मीदवारों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों का पढ़ा/पढ़ कर सुनाया गया है और हम एतद द्वारा उनका पालन करने का वचन देते हैं।
- हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं हैं। हम समझते हैं कि अन्यथा ऐसा पाए जाने पर हम दोनों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है/ ना ही करेगा।
- हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उसके द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है और इस परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से अधिक है तो उम्मीदवार पद की उम्मीदवारी और उससे संबंधित दावों से वंचित हो जाएगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

उपर दिए गए बॉक्स में उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर दिए गए बॉक्स में स्क्राइब के बाएं अंगूठे का निशान

निरीक्षक के हस्ताक्षर

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले लेकिन जो अधिनियम धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है, अर्थात् 40% प्रतिशत से कम विकलांगता वाले व्यक्ति और जिन्हें लिखने में कठिनाई है उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप ।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती..... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री निवासी.....(ग्राम/पीओ/पीएस/जिला राज्य), आयु.....वर्ष, की जांच की है और वह (विकलांगता का प्रकार/स्थिति) से ग्रसित है जिसके कारण उत्पन्न स्थिति के कारण उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब के सहयोग की आवश्यकता है।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम बताएं) का उपयोग करता है, जो कि अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा देने के लिए आवश्यक है।
3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह (अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकार द्वारा प्रमाणित किया जाता है) तक वैध है।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया हो (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम (मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

40 प्रतिशत से कम विकलांगता वाले और जिन्हें लिखने में कठिनाई है उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र

यहां स्क्राइब का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं, जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी हो (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

फोटो के नीचे उपर दिए गए बॉक्स में स्क्राइब के हस्ताक्षर

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले निर्दिष्ट विकलांगता वाले लेकिन इस अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले व्यक्तियों, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और जिन्हें लिखने में कठिनाई है उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र।

1. मैं..... एक उम्मीदवार हूँ, जो (विकलांगता का प्रकार/स्थिति) से ग्रसित हूँ, मैं.....(परीक्षा का नाम) रोल नं.....के साथ.....(केंद्र का नाम) जिला..... , (राज्य का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता..... है।
2. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए.....(स्क्राइब का नाम) जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हैं वह मेरे लिए स्क्राइब की सेवा देगा।
3. मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता..... है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है, तो मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दारों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(माता-पिता/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिक है तो)

स्थान:

दिनांक:

शारीरिक अक्षमता के कारण परीक्षार्थी को लिखने में कठिनाई के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (विकलांग अभ्यर्थी का नाम),
_____ (विकलांगता प्रमाण-पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत), पुत्र/पुत्री
_____, _____ (गांव/जिला/राज्य) के निवासी की परीक्षा की
है और यह पाया है कि उसकी शारीरिक अक्षमता उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती है।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान:

तारीख:

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/विकलांगता के विशेषज्ञ (जैसे कि द्रष्टि बाधित - नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर विकलांगता-
आर्थोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर) द्वारा दिया जाना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेकर असैन्य रोजगार के संबंध में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं समझता हूँ कि मैं इस केंद्रीयकृत रोजगार सूचना (सीईएन) के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं रहूँगा, यदि मैंने नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ लेकर किसी भी असैन्य क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहित) में रोजगार प्राप्त किया हो।

मैं इसके द्वारा निम्नलिखित तथ्य भी घोषित करता हूँ

- (क) सीईएन..... के पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेकर कोई भी असैन्य रोजगार प्राप्त नहीं किया है।
- (ख) मैंने असैन्य रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाया है और मैंने असैन्य रोजगार ज्वाइन करने से पहले सीईएन..... में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए अपने आवेदन(नों) का विवरण अपने नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन पत्र द्वारा दे दिया है। वर्तमान नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण पत्र संलग्न है। (जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान:.....

हस्ताक्षर:.....

दिनांक:.....

नाम:.....

रोल नम्बर:.....

नियोजित अधिकार्यों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. यह सूचित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती..... जो.....(यूनिट/ कार्यालय) में.....(रैंक) के रूप में कार्यरत है, ने (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा जारी की गई विज्ञापन संख्या दिनांक.....के अंतर्गत विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया है।
2. मैं, उपलब्ध सूचना के आधार पर, श्री/कुमारी/श्रीमती.....(नाम) संख्या..... (रैंक) के संबंध में निम्नानुसार प्रमाणित करता हूँ :-
 - i. वह (तारीख) को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए..... वर्ष (शब्दों में) की निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा, बशर्ते कि अन्य शर्तें पूरी हों। श्री/कुमारी/ श्रीमती अनापत्ति प्रमाण पत्र की तिथि पर वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी कर लेगा/लेगी और सैन्य सेवा छोड़ने के समय..... वर्ष की सेवा (शब्दों में) पूरी कर लेगा/लेगी।
 - ii. पद पर चयन होने पर उसे सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:
दिनांक

कमान अधिकारी:
(हस्ताक्षर)
कार्यालय मुहर

कनिष्ठ अनुवादक/हिंदी

1. इस प्रश्न पत्र के सामान्य भाग में 50 प्रश्न होंगे।
2. भाषा के भाग में, 30 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे और 20 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से होंगे। इन 50 प्रश्नों का अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जाएगा। अर्थात्, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न केवल हिंदी में होंगे और अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न केवल अंग्रेजी में होंगे।
नोट: कठिनाई स्तर 12वीं(+2स्टेज) होगा।

हिंदी भाषा के लिए पाठ्यक्रम

प्रत्येक के तीन प्रश्न पूछे जाएंगे	
क्र. सं.	विषय
1	समानार्थी शब्द
2	पर्यायवाची शब्द
3	विलोम शब्द
4	प्रत्यय
5	उपसर्ग
6	सन्धि-विच्छेद
7	मुहावरे और लोकोक्तियाँ
8	तत्सम-तद्भव
9	वाक्यांश के लिए एक शब्द
10	शब्द/वाक्य शुद्धि

अंग्रेजी भाषा के लिए पाठ्यक्रम

(Two Questions each)	
Sl. No.	Subject
1	Synonyms/Antonyms
2	Translation into हिन्दी
3	Suffix/Prefix
4	Phrases/Idioms
5	Arrange the words in proper sequence
6	Pronouns/Verbs/Tenses
7	Articles/Proposition/Conjunctions
8	Adjectives/Adverbs
9	Question Tag
10	Active & passive voice

कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	औद्योगिक संबंध: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926, औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश] अधिनियम, 1946	9 से 11
2	सामाजिक सुरक्षा कानून: कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961	9 से 11
3	मजदूरी से संबंधित कानून: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 ।	9 से 11
4	काम की स्थितियां प्रभावित करने वाले विधान : भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952 ।	7 से 10
5	कंप्यूटर और अनुप्रयोगों की मूल बातें: इनपुट और आउटपुट डिवाइस, एमएस ऑफिस;	3 से 5
6	सूचना का अधिकार अधिनियम - उसके प्रावधान।	2 से 4
7	नई पेंशन योजना ।	1 से 3
	कुल	50

मुख्य विधि सहायक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	भारतीय संविधान: प्रस्तावना और मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्यनीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्रीय विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका।	3 से 5
2	प्रशासनिक कानून: प्रशासनिक कानून की प्रकृति और दायरा; प्रशासन की विधायी शक्ति; प्रशासन की न्यायिक शक्ति; प्रशासनिक कार्यवाई का न्यायिक नियंत्रण; निगम और सार्वजनिक उपक्रम।	2 से 3
3	न्यायशास्त्र: प्रकृति और संकल्पना, न्यायशास्त्र के स्कूल, कानून के स्रोत, कानूनी अवधारणा, कानूनी व्यक्ति	3 से 4
4	अपकार का कानून : सामान्य अवधारणाएं।	2 से 3
5	हिंदू कानून: स्रोत, विवाह, तलाक, रखरखाव, गोद लेना, उपहार, उत्तराधिकार	3 से 4
6	नागरिक प्रक्रिया संहिता: सामान्य; सूट, निष्पादन; अपील; संदर्भ, समीक्षा और संशोधन; लिखित बयान, सेट-ऑफ और जवाबी - दावा; परीक्षा, खोज, प्रवेश और दस्तावेज कानून।	5 से 7
7	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता: विभिन्नखंड।	2 से 3
8	भारतीय न्याय संहिता: सामान्य; दंड; दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र; राज्य के खिलाफ अपराध, लोकसेवकों के कानूनी अधिकार की अवहेलना, गलत साक्ष्य; मानव शरीर और संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध।	2 से 3
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023: तथ्यों की प्रासंगिकता; जिन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है; मौखिक साक्ष्य; दस्तावेजी प्रमाण; सबूत के बोझ; विबंधन; गवाहों की परीक्षा और अनुचित प्रवेश और साक्ष्य की अस्वीकृति।	2 से 3
10	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872: समझौता, अनुबंध और प्रस्ताव; स्वीकृति; प्रतिफल; अनुबंध की क्षमता; सहमति को प्रभावित करने वाले कारक; उद्देश्य की वैधता; अनुबंध का निष्पादन; अनुबंध का उल्लंघन; क्षति पूर्ति और गारंटी; उपनिधान।	2 से 3
11	परिसीमा अधिनियम, 1963: प्रारंभिक और मुकदमे की परिसीमा, अपील और आवेदन; परिसीमा की अवधि; कब्जे और विविध द्वारा स्वामित्व का अधिग्रहण।	2 से 3
12	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963: विशिष्ट राहत और निवारक राहत।	1 से 2
13	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932; पार्टनरशिप की प्रकृति और पार्टनर के एक-दूसरे से संबंध; पार्टियों के तीसरे व्यक्ति से संबंध; आवक और जावक भागीदार; किसी फर्म का विघटन; फर्मों का पंजीकरण	1 से 2
14	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: मध्यस्थता; समझौता	2 से 3
15	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: सामान्य प्रावधान।	1 से 2
16	मानव अधिकारों का संरक्षण: सामान्य प्रावधान।	1 से 2
17	संपत्ति अंतरण अधिनियम: सामान्य, पार्टियों के द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण; अचल संपत्ति की बिक्री, अचल संपत्ति को बंधक रखना और उसका शुल्क; अचल संपत्ति की लीज, आदान-प्रदान; उपहार।	2 से 3
18	सूचना का अधिकार अधिनियम: सार्वजनिक प्राधिकारियों का दायित्व; केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग; अपील और दंड।	1 से 2
19	कंपनी कानून: कंपनी का गठन, पंजीकरण और निगमन; पूंजी निर्माण, कॉर्पोरेट प्रशासन और कंपनियों के समापन।	2 से 3
20	श्रम कानून: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कारखाना अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	3 से 5
	कुल	50

वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	संचार-व्यवस्था संचार का परिचय; संचार का इतिहास; उपकरण; संचार के मूल तत्व; संचार के प्रकार; संचार की अनिवार्यता; संचार के सिद्धांत; प्रभावी सिद्धांत, संचार की प्रक्रिया; संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक; संचार के रूप; मौखिक संचार ।	12 से 15
2	जन संचार जन संचार का युग, जनसंचार का परिचय और इतिहास; जनसंचार की संस्कृति और कार्य; जन संचार के उपकरण; पत्रकारिता; प्रेस कोड और नैतिकता; जन संचार के तत्व, जनसमूह श्रोताओं का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, जन संचार के मॉडल; जन संचार के सिद्धांत; संचार में मुद्दे; जनसंपर्क माध्यम और जनमत ।	12 से 15
3	विज्ञापन अवधारणा, विज्ञापन के कार्य, किसी उत्पाद/सेवा/विचार के विज्ञापन के अवसर को निर्धारण करने वाले कारक/, विज्ञापन के प्रकार और वर्गीकरण प्रदर्शन/वर्गीकृत/व्यापार/उत्पाद/वित्तीय/कॉर्पोरेट आदि, ब्रांड प्रबंधन और पोजिशनिंग, रचनात्मक और अभियान की अवधारणा; विज्ञापन के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, विज्ञापन: नैतिकता, कोड और कानून, मार्का न्यायपरस्ता और विज्ञापन। विज्ञापन संस्था - संस्था के प्रकार, संरचना, कार्य, भूमिकाएँ और कार्य-क्षेत्र । संस्था ग्राहक संबंध, शीर्ष संगठन: डीएवीपी, आईएनएस, आईएसए, एएआई।	10 से 13
4	जनसंपर्क जनसंपर्क; सार्वजनिक संबंधों का विकास; भारत में पीआर; जनता की राय; पीआर प्रक्रिया; आंतरिक संचार के लिए पीआर, बाहरी जनता के लिए पीआर, संचार के लिए मास मीडिया, नैतिकता और पीआर; मीडिया से निपटने/मीडिया की कार्यप्रणाली; पीआर में लेखन की भूमिका, पीआर में उभरती चुनौतियां। पीआर प्रबंधन - कार्यक्रम प्रबंधन, संकट प्रबंधन, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन। पीआर कानून - आचार संहिता, पीआर और प्रेस परिषद, मानहानि, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923, कॉपीराइट अधिनियम 1957, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867। अदालत की अवमानना कम्प्यूटर और इसके अनुप्रयोग (2 से 3 प्रश्न)	10 से 13
5	सामाजिक मीडिया, जैसे ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब आदि पर विषय और कवरेज।	3 से 5
कुल		50

सभी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) / प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर्स (टीजीटी)

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	शिक्षा	22 से 28
	शिक्षा का दर्शन - दर्शनशास्त्र के विभिन्न स्कूल; भारतीय विचारकों और पश्चिमी विचारकों के अनुसार शिक्षा।	
	भारतीय संदर्भ में समाजशास्त्र और शिक्षा - शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, भारतीय समाज की आकांक्षा, घर की भूमिका और कार्य, स्कूल समुदाय, धर्म, मीडिया और राज्य समाजीकरण के प्रतिनिधि के रूप में, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन के प्रतिनिधि के रूप में, शिक्षा एक सामाजिक समायोजन और सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रतिनिधि के रूप में ।	
	शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य - मूल्यों का अर्थ और वर्गीकरण । नैतिकता और नैतिक मूल्यों की प्रकृति; मूल्य उन्मुख शिक्षा । मूल्य संकट और मूल्य संकट के समाधान में शिक्षा की भूमिका। संस्कृति का अर्थ और विशेषताएं और शिक्षा के साथ इसका संबंध । भारतीय सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा । सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक अंतराल, सांस्कृतिक संघर्ष, दुविधा और सहिष्णुता।	
	लोकतंत्र और शिक्षा - समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, अधिकार और अनुशासन की अवधारणा। बाल अधिकारों के संदर्भ में मानव अधिकार शिक्षा ।	
	शिक्षा और एकीकरण - शिक्षक और शैक्षिक संस्थानों की भूमिका	
2	शिक्षार्थी और शिक्षण का मनोविज्ञान	13 से 18
	शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, कार्यक्षेत्र और महत्व। शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध; वृद्धि और विकास की प्रक्रिया; बुद्धि: इसके सिद्धांत और माप। सीखना और प्रेरणा; मनोविज्ञान और असाधारण बच्चों की शिक्षा - रचनात्मक, उपहार, पिछड़े, सीखने की अक्षमता और मानसिक रूप से मंद। मूल्यांकन	
3	पाठ्यक्रम और निर्देश :	8 से 12 प्रश्न
	पाठ्यक्रम विकास, लेन-देन,	
	निर्देशात्मक तरीके - शिक्षक-नियंत्रित निर्देश (टीसीआई); शिक्षार्थी-नियंत्रित निर्देश (एलसीआई); समूह-नियंत्रित निर्देश (जीसीआई);	
	कौशल एवं क्षमताएं; निर्देश वितरण के साधन	
	कुल	50

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (पीटीआई)

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	भारत में शारीरिक शिक्षा उद्देश्य, सिद्धांत और शारीरिक शिक्षा के घटक; भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति; स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका (डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, स्थानीय निकाय); प्रोत्साहन, उपलब्धि की अवधारणा; अन्य शारीरिक शिक्षा और खेल आयोजन (संगोष्ठी, अस्पताल, व्याख्यान) का संगठन, शारीरिक शिक्षा में श्रवण दृश्य सहायकों का उपयोग।	10 से 12
2	शारीरिक रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, व्यायाम, पोषण आहार और स्वच्छता शारीरिक गतिविधि-अवधारणा, स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के लाभ; अवधारणा, आवश्यकता, घटक और पूर्ण स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, तैयार होना, अनुकूलन और शांत होना, विकसित करने के तरीके; और शारीरिक स्वास्थ्य के स्वास्थ्य और कौशल संबंधित घटकों को मापना। वेलनेस -अवधारणा घटक, सकारात्मक जीवन शैली के संदर्भ में महत्व। पोषण, संतुलित आहार, आहार सहायक की अवधारणा। ऊर्जा और गतिविधि - कैलोरी सेवन और व्यय, ऊर्जा संतुलन समीकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता की भूमिका, मानसिक स्वच्छता, नींद की स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा और खेल में व्यावसायिक स्वच्छता।	15 से 17
3	खेल चोट, रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा, खेल चिकित्सा शारीरिक शिक्षा में शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान की बुनियादी अवधारणा, आवश्यकता और महत्व। कोशिका, ऊतक, अंग और प्रणाली की परिभाषा और विवरण; कंकाल प्रणाली, मांसपेशियों की प्रणाली, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंतः स्रावी प्रणाली का संक्षिप्त परिचय। शारीरिक फिटनेस घटकों के विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक। थकान, सिलाई, ऐंठन, ऑक्सीजन ऋण, दूसरी हवा की अवधारणा। प्रशिक्षण प्रभावों के लिए मार्कर - अधिकतम हृदय गति, वाइटल कैपेसिटी, इन्टेक वॉल्यूम, तापमान विनियमन। आसनीय विकृति - प्रकार और कारण (हिपनोसिस, स्कोलियोसिस, अग्रकुब्जता, घुटनों के बल, धनुष घुटने, समतल पैर) सुधारात्मक अभ्यास। खेल चिकित्सा और एथलेटिक देखभाल - संकल्पना और महत्व, चोटों के कारक कारण। चोटों की रोकथाम के सामान्य सिद्धांत - सामान्य खेल की चोटें (मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट मोच, कंधे की अकड़न, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव, टेनिस और गोल्फर कोहनी, धावक के घुटने, पिंडली का दर्द, छाला, आघात, पंगु, खरोंच, रक्तगुल्म, हड्डी टूटना, जोड़ का विस्थापन। चोट का प्रबंधन (मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट मोच, कंधे की अकड़न, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव, टेनिस और गोल्फर कोहनी, धावक के घुटने, पिंडली का दर्द, छाला, आघात, घाव, खरोंच, हड्डी टूटना, जोड़ का विस्थापन)। खेल की चोट और प्राथमिक चिकित्सा। पुनर्वास - लक्ष्य और उद्देश्य, ठीक होना (आइस बाथ, हॉट बाथ, गर्म सेंक) चिकित्सीय तौर-तरीके (चिकित्सीय अल्ट्रासाउंड, इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूनिट, टेंस इंफ्रारेड लैम्प, वैक्स बाथ, शॉर्ट वेव डायथर्म)। खेल मनोविज्ञान की परिभाषा, कार्यक्षेत्र और महत्व सीखना - सीखने की अवधारणा और सिद्धांत, सीखने का वक्र। खेल में भावना, चिंता और तनाव प्रबंधन।	16 से 20
4	मनोरंजन के लिए शिविर लगाना	2 से 3
5	महत्वपूर्ण क्रीड़ा और खेल	4 से 6
	कुल	50

सहायक अध्यापिका

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	शैक्षणिक मनोविज्ञान	25 से 29
	बुद्धिमत्ता: प्रकृति, अर्थ और माप; सीखना; विकास एवं बच्चे का विकास; व्यक्तित्व विकास और समायोजन; बच्चों में व्यक्तिगत अंतर	
2	शिक्षा प्रौद्योगिकी और शिक्षण - सीखने की प्रक्रिया; संवाद कौशल	18 से 22
	शिक्षण-सीखने की सामग्री: पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन; उपचारात्मक शिक्षण।	
3	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग	2 से 4
कुल		50

संगीत अध्यापिका

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	संगीत की प्रशंसा, बड़ा खयाल और छोटा खयाल, भरतनाट्य शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास और संगीत रत्नाकर, संगीत का वर्गीकरण।	8 से 12
2	भारतीय संगीत में राग और ताल की अवधारणा, रागों का वर्गीकरण, अवधारणा गायन, विभिन्न घराने और उनका इतिहास, संकेतन प्रणाली का विकास, सुगम संगीत के रूप	8 से 12
3	भारतीय संगीत कलाओं का इतिहास, संगीत समारोहों/सेमिनारों/सम्मेलनों का महत्व।	7 से 11
4	ध्वनि-विज्ञान के नियम; संगीत ध्वनि तरंग गति, आवृत्ति, पिच, वॉल्यूम	7 से 11
5	संगीत और साहित्य, ललित कलाओं में संगीत का स्थान, मल्टी मीडिया में संगीत की भूमिका, ताल अध्ययन, गायन और वाद्ययंत्र संगीत	7 से 11
6	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग	2 से 4
	कुल	50

लैब एसिस्टेंट ग्रेड III रसायनज्ञ और धातुकर्मी

क्र. सं.	विषय		प्रश्नों की संख्या
i	यांत्रिक परीक्षण के मूल सिद्धांत जैसे तन्यता परीक्षण, समाघात परीक्षण, भार झुकाव परीक्षण, मोड़ परीक्षण आदि।		4 से 8
ii	परीक्षण में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मशीनों का मूल ज्ञान।		3 से 6
iii	स्टील, कच्चा लोहा, अलौह धातु, रबर प्लास्टिक और कंपोजिट जैसी सामग्रियों का मूल ज्ञान।		6 से 8
iv	a)	स्टील और कच्चे लोहे में C, Mn, Si, S, P, Cr, Ni & Mo और अन्य तत्वों का अनुमान और उनके प्रभाव।	2 से 3
	b)	अलौह धातुओं और मिश्र धातुओं का परीक्षण।	2 से 4
	c)	इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मूल सिद्धांत और विभिन्न इलेक्ट्रोप्लेटेड कोच पुर्जों का परीक्षण।	2 से 5
v	a)	कोचों में पेंटिंग का कार्यक्रम और पेंट की खामियां।	2 से 4
	b)	आरओजेड प्राइमर, सिंथेटिक एनामेल्स और पी.यू.पेंट्स का परीक्षण।	2 से 4
vi	रबर एवं रबर उत्पादों का परीक्षण, एल.पी चादरें, लकड़ी, चिपकने वाला पदार्थ, पीवीसी, रेक्सिन, प्लाईवुड फोम और अफआरपी सामान।		3 से 6
vii	तेल एवं स्नेहक : तेल एवं स्नेहकों, ग्रीस आदि का परीक्षण।		3 से 5
viii	गैर विनाशकारी परीक्षण:		
	a)	वेल्डिंग और स्टील कास्टिंग के एक्स-रे परीक्षण और गामा किरणों की जांच का ज्ञान। फिल्म विकास और रेडियोग्राफी की मूल बातें।	2 से 5
	b)	अल्ट्रासोनिक परीक्षण के सिद्धांत।	2 से 4
	c)	मैग्नाफ्लक्स और डाई पेनिट्रेंट परीक्षण।	2 से 3
कुल			50

प्रयोगशाला सहायक / स्कूल

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
जीवविज्ञान		
भाग-A		5 से 8
a	के सामान्य लक्षण : शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, पेरिडो-फाइटा, जेमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म।	
b	एंजियोस्पर्म की आकृति विज्ञान : जड़, तना और पत्ती की संरचना और रूप-परिवर्तन। फूल और बीज की संरचना ।	
c	पौधे की शारीरिक रचना: ऊतक और ऊतक प्रणाली। द्वितीयक वृद्धि।	
d	वनस्पति शरीर क्रिया विज्ञान: परासरण, जल अवशोषण, रस का आरोहन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पौधों की वृद्धि और गति।	
e	पर्यावरण अध्ययन: पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और प्रकार, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू-रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक अनुकूलन, पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या पारिस्थितिकी, जैव विविधता।	
f	जैव प्रौद्योगिकी: जनरल अकाउंट, पुनःसंयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, ट्रांसजेनिक पौधे और जानवर, नैतिक परिणाम, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग।	
g	पौधों का आर्थिक महत्व।	
h	कोशिका: संरचना (प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक), कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन।	
भाग-B		6 से 8
a	आनुवंशिकी: मेंडल का नियम, सामान्य शब्दावली, डीएनए और आरएनए की संरचना, आनुवंशिकता का आणविक मूल। गुणसूत्र की संरचना, लिंग निर्धारण और मनुष्य में आनुवंशिक विकार।	
b	पशुओं का वर्गीकरण: नॉन कॉर्डेट्स में फ़ाइला तक और कॉर्डेट्स में क्लास तक।	
c	मानव में पाचन श्वसन और उत्सर्जन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और पाचन एंजाइम, गैसों का आदन-प्रदान, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन, क्रेब चक्र, ग्लूकोलिसिस, उत्सर्जन पदार्थ। गुर्दे की संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान।	
d	मानव का अंतः स्रावी और परिसंचरण तंत्र : हृदय की संरचना, रक्त की संरचना, रक्त समूह, रक्त का थक्का जमना, लसीका ग्रंथियां, एंटीजन और एंटीबॉडी। अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोन।	
e	मानव का तंत्रिका तंत्र : मस्तिष्क, आंख और कान की संरचना; न्यूरोन की संरचना, तंत्रिका आवेग।	
f	मांसपेशी तंत्र: मांसपेशियों के प्रकार और मांसपेशियों के संकुचन।	
g	मानव में प्रजनन प्रणाली और मानव रोग: संरचना और प्रजनन स्वास्थ्य। मनुष्य में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोए, कवक और हेल्मिन्थिस के कारण होने वाले रोग।	
h	जैविक विकास, जानवरों का आर्थिक महत्व।	

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
भौतिकी		10 से 15
a	कठोर पिंड की गतिकी : टोर्क, कोणीय संवेग का संरक्षण, सरल ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण ।	
b	ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी का पहला और दूसरा नियम। ताप इंजन और रेफ्रिजरेटर।	
c	कंपन: सरल आवर्त गति और उसका उदाहरण। अनुनाद।	
d	तरंगें : तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव	
e	इलेक्ट्रोस्टैटिक्स: कूलम्ब का नियम, विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय और उसके अनुप्रयोग।	
f	विद्युत धारा: किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन-ब्रिज, मीटर- ब्रिज, पोर्टेशियोमीटर।	
g	प्रकाशिकी: माइक्रोस्कोप और दूरबीन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवीकरण, ध्रुवणमापी।	
h	कण: बोहर का एच-परमाणु मॉडल।	
i	नाभिक: द्रव्यमान दोष, परमाणु बंधन ऊर्जा, परमाणु विखंडन और संलयन।	
j	आर्ध-चालक इलेक्ट्रॉनिक्स: पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, रेक्टिफायर के रूप में डायोड, जेनर डायोड।	
रसायन विज्ञान		
यनिट-1 आवर्त सारणी और परमाणु गुण :		2
अणु के मूल कण (इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन), रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्वांटम संख्या, पाउली का अपवर्जन नियम, ऑफबाउ नियम, कक्षा के प्रकार (S, p, d, f), कक्षा के आकार, हुंड का नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, परमाणु गुणों में परिवर्तन (आकार, आयनीकरण, विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता)।		
यनिट-2 एस-ब्लॉक और पी-ब्लॉक तत्व		2
सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, घटित होना, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक और रासायनिक गुणों में प्रवृत्ति, निष्क्रिय युग्म प्रभाव।		
यनिट-3 रासायनिक संतुलन		2
संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय प्रतिक्रियाएँ, रासायनिक संतुलन के नियम, ले चेटेलियर का नियम।		
यनिट-4 आयनिक संतुलन		2
एसिड आधारित संतुलन, पी एच का मान, समान आयन प्रभाव, बफर विलयन, एसिड आधारित अनुमापन।		
यनिट-5 गैसीय अवस्था		2
गुण, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, डाल्टन का नियम, आदर्श गैस समीकरण, ग्राहम का विसरण का नियम, गैसों का गतिज सिद्धांत।		
यनिट-6 तरल अवस्था		2
तरल पदार्थों के गुण, वाष्प दबाव, सतह खिंचाव, श्यानता।		
यनिट-7 ठोस अवस्था		2
ठोस पदार्थों के गुण, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, कोशिका इकाई और उनके प्रकार, क्रिस्टल की पैकिंग, सरल आयनिक यौगिकों की संरचना।		
यनिट-8 घोल		2
विलेय, विलायक, विलयन, विलयनों की सांद्रता (मोलारिटी, नार्मलता, फॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल अंश, भार प्रतिशत), विलयनों के प्रकार (गैस विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, राउल्ट का नियम, आदर्श और गैर-आदर्श विलयन, विलयनों के सहसंयोजी गुण		
यनिट-9 कार्बनिक मिश्रणों की नामपद्धति और सामान्य गुण		2
IUPAC नामकरण के नियम, प्रतिक्रिया के प्रकार (प्रतिस्थापन, जोड़ना, निष्कासन), इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन्डिक्टिव प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, हाइपरकॉन्ज्यूगेशन, स्थैतिक प्रभाव, समावयवता (संरचनात्मक और स्टीरियो)		
यनिट-10 हाइड्रोकार्बन		2
परिभाषा और हैड्रोकार्बन के प्रकार (एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एरीन), हैड्रोकार्बन की तैयारी, भौतिक गुण, रासायनिक गुण।		
कुल		50

लाइब्रेरियन

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
i	ज्ञान का ब्रह्मांड, संरचना और गुण, विषयों के रचना के साधन, विभिन्न प्रकार के विषय, विषयों का ब्रह्मांड जैसा कि वर्गीकरण की विभिन्न योजनाओं में मैप किया गया है।	12 से 14
ii	ग्रंथसूची विवरण, सूचीपत्र का उद्देश्य, संरचना और प्रकार, भौतिक प्रपत्र सहित ओपीएसी भरने के नियम, सूचीकरण के मानक सिद्धांत, दस्तावेज़ विवरण में अभ्यास के सिद्धांतों का अवलोकन, मानकीकरण में वर्तमान रुझान, विवरण और विनिमय, सूचीकरण का मानक पाठ्यक्रम।	12 से 14
iii	ज्ञान के संगठन की विधि, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, पुस्तकालय वर्गीकरण का सामान्य सिद्धांत, वर्गीकरण के मानक सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियाँ, वर्गीकरण की मानक योजनाएँ और उनकी विशेषताएँ, सीसी, ईडीसी, यूडीसी, संकेतन: [आवश्यकता, कार्य, विशेषताएँ], पुस्तकालय वर्गीकरण योजनाओं का डिज़ाइन और विकास, मानक उप-विभाजन सूचकांक, पुस्तकालय वर्गीकरण में रुझान।	12 से 14
vi	विषयों का वर्गीकरण, शैक्षिक मनोविज्ञान, विषय वर्गीकरण के सिद्धांत।	8 से 12
	कुल	50

प्राथमिक शिक्षक/प्राथमिक रेलवे शिक्षक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
a	<p>सीखने वाले को समझना:</p> <ul style="list-style-type: none"> विकास की अवधारणा, परिपक्वता और विकास, विकास के सिद्धांत और वाद-विवाद, विकास कार्य और चुनौतियाँ। विकास के क्षेत्र: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-भावनात्मक, नैतिक आदि। विकास में विचलन और उसके निहितार्थ किशोरावस्था को समझना: आवश्यकताएँ, चुनौतियाँ और संस्थागत समर्थन डिजाइन करने के निहितार्थ। प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका। होम स्कूल की निरंतरता सुनिश्चित करना। 	18 से 20
b	<p>सीखाना और सीखना को समझना:</p> <ul style="list-style-type: none"> सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से सीखने के लिए व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद और रचनात्मकतावाद के निम्न के लिए विशेष संदर्भों के साथ उनका निहितार्थ और । शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी की भूमिका शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध की प्रकृति शिक्षण विधियों का चयन कक्षा का वातावरण अनुशासन, शासन इत्यादि की समझ सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके लिए निहितार्थ: कक्षा के लिए निर्देशों का तैयार करना विद्यार्थियों की गतिविधियों की योजना बनाना विद्यालय/स्कूल में सीखने की स्थान बनाना सीखाने-सीखने की योजना तैयार करना और आयोजन करना पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की अवधारणा, अपरोक्ष और छुपा पाठ्यक्रम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा आदि अनुदेशात्मक योजनाएँ - वार्षिक योजना, इकाई की योजना, पाठ की योजना अनुदेशात्मक सामग्री और साधन सीखाने-सीखने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सीखने का, सिखने के लिए और सीख का मूल्यांकन: अर्थ, उद्देश्य और प्रत्येक की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें सीखाने-सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना: कक्षा का अवलोकन और प्रतिक्रिया, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कुछ विचार और संवाद। 	18 से 20
c	<p>सीखने का एक अनुकूल वातावरण तैयार करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> विविधता, विकलांगता और समावेशन की अवधारणाएँ, सामाजिक निर्माण के रूप में विकलांगता के निहितार्थ, विकलांगता के प्रकार-उनकी पहचान और हस्तक्षेप विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन और परामर्श का प्रावधान करना। विद्यालय और समुदाय को एक सीखने के संसाधन के रूप में विकसित करना। 	4 से 6

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
d	<p>विद्यालय संगठन और नेतृत्व:</p> <ul style="list-style-type: none"> • एक चिंतनशील व्यवसायी, दल निर्माता, पहल प्रारंभ करने वाला, प्रशिक्षक, और संरक्षक के रूप में लीडर • विद्यालय परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व- अनुदेशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी। • दृष्टिकोण बनाना, लक्ष्य निर्धारित करना और विद्यालय विकास के लिए योजना तैयार करना। • विद्यालय प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग कर सिखाने और सीखने को मजबूत करने के लिए वार्षिक कैलेंडर, समय-सारणी, अभिभावक-शिक्षक मंच, विद्यालय सभा, शिक्षक विकास मंच, अध्यापन-शिक्षा में सुधार लाने के लिए उपलब्धियों के डाटा का अनुप्रयोग करना, विद्यालय स्व-मूल्यांकन और सुधार। • समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाकर सीखने वाला समुदाय बनाना। 	4 से 6
e	<p>शिक्षा में परिप्रेक्ष्य:</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यालय की भूमिका। • NEP-2020: बचपन में प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा; सीखने की नींव, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता; विद्यालय में पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र; समग्र और एकीकृत शिक्षा; न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा और शिक्षण । • बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, बच्चों के सुरक्षित वातावरण के अधिकार की रक्षा करना और प्रावधान करना, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009. • स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन। • स्कूल पाठ्यक्रम के सिद्धांत: परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल चरण-शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन। 	2 से 3
कुल		50

लोक अभियोजक

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	कानूनी अवधारणाएँ कानून के तहत व्यक्ति- प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तित्व- जानवरों, अजन्मे और मृत व्यक्ति की कानूनी स्थिति- कॉर्पोरेट व्यक्तित्व- कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व- संपत्ति की अवधारणा- संपत्ति के प्रकार और अधिग्रहण के तरीके- स्वामित्व और कब्जे की अवधारणा- अधिकारों की अवधारणा और प्रकार- राज्य- इसके आवश्यक तत्व और राज्य के प्रकार।	3 से 4
2	अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र अपराध कारक कारण - अपराध विज्ञान का सकारात्मक स्कूल- लोम्ब्रोसो, एनरिको फेरी और टार्डे- अपराध और समाजशास्त्र- गरीबी और अपराध- विभेदक संघ सिद्धांत- सफेदपोश अपराध- दंड के सिद्धांत- सुधारात्मक और पुनर्वास तकनीक- भारतीय दंड संहिता के तहत दंड के प्रकार- मृत्युदंड और इसकी संवैधानिक वैधता- जेल श्रम- पैरोल।	3 से 4
3	अपराध के सामान्य सिद्धांत अपराध और उसकी परिभाषा- एक्टस रेस- स्वैच्छिक कृत्य- उपेक्षा से कारित कार्य- अपकृत्य और अपराध में अंतर- मेन्स रीआ- भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसके स्तर- अपूर्ण अपराध- सामान्य आशय- आपराधिक षडयंत्र- आपराधिक प्रयास- दुष्प्रेरण।	3 से 4
4	भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सामान्य अपवाद भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अध्याय III - तथ्यों की भूल- न्यायिक कार्य- दुर्घटनाएँ- शैशवावस्था और पागलपन के कार्य- सहमति और दबाव - तुच्छ बातें- निजी बचाव- अन्य क्षम्य और न्यायोचित कार्य- सामान्य अपवादों की न्यायिक व्याख्या।	5 से 7
5	मानव शरीर के प्रति अपराध गैर इरादतन हत्या और हत्या - लापरवाही से मौत - दहेज हत्या और आत्महत्या - गर्भपात का कारण बनना - चोट और गंभीर चोट - एसिड अटैक - अपहरण - महिला की शील के खिलाफ अपराध - बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध - आपराधिक कानून संशोधन 2013 और इसके निहितार्थ - बच्चों के खिलाफ यौन शोषण और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर प्रासंगिक विशेष कानून - न्यायिक प्रतिक्रियाएं।	3 से 4
6	संपत्ति के विरुद्ध अपराध और अन्य अपराध चोरी, जबरन वसूली, डकैती और डकैती का अपराध - संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग - विश्वासघात - चोरी की संपत्ति प्राप्त करना - धोखाधड़ी - शरारत - आपराधिक अतिचार - जालसाजी - झूठी गवाही - सार्वजनिक उपद्रव को प्रभावित करने वाले अपराध - राज्य के खिलाफ अपराध - धर्म और विवाह के खिलाफ अपराध - अश्लीलता।	5 से 7
7	आपराधिक न्याय प्रशासन आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य- भारत में आपराधिक न्यायालयों के वर्ग और उनका क्षेत्राधिकार- लोक अभियोजक और उनकी भूमिका- कार्यकारी मजिस्ट्रेट- पुलिस का संगठन और उसकी शक्तियां- अपराधों का वर्गीकरण- संज्ञेय और असंज्ञेय- जमानतीय और गैर-जमानती- भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत पीड़ित संरक्षण- अपील, पुनरीक्षण के उपाय और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां- जमानत और अग्रिम जमानत।	5 से 7

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
8	साक्ष्य के सिद्धांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 - साक्ष्य- सुसंगत तथ्य- साक्ष्य की स्वीकार्यता- सबूत के भार की अवधारणा- स्वीकारोक्ति- पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति- मृत्युपूर्व कथन- दस्तावेजी साक्ष्य- सार्वजनिक दस्तावेजों का साक्ष्यात्मक मूल्य- साक्ष्य कानून के तहत धारणाएं- अफवाह नियम और अपवाद- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य- विशेषज्ञ साक्ष्य- व्यक्ति की पहचान- गवाह और गवाह की परीक्षा- साक्ष्य की अस्वीकृति।	5 से 7
9	अभियुक्त और गिरफ्तार व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार आपराधिक प्रक्रिया में अभियोगात्मक और जांच प्रणाली- निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा- संवैधानिक अधिकार के रूप में निष्पक्ष सुनवाई- सामाजिक आर्थिक अपराध और सबूत के बोझ का स्थानांतरण- आरोपी व्यक्ति के अधिकार- आत्म-दोषसिद्धि के खिलाफ अधिकार- आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी और पीड़ित की परीक्षा- नार्को विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक परीक्षण- संवैधानिक वैधता- दोहरे खतरे के खिलाफ अधिकार- संवैधानिक और कानूनी प्रावधान- पूर्वव्यापी कानून और आपराधिक प्रक्रिया- गोपनीयता और आपराधिक प्रक्रिया का अधिकार- भूल जाने का अधिकार- कैदियों के अधिकार- मनमानी गिरफ्तारी के लिए मुआवजे का अधिकार- निवारक नजरबंदी- मुफ्त कानूनी सहायता- कानूनी सेवा प्राधिकरण।	5 से 7
10	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (विभिन्न धाराएं)	5 से 7
11	रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 रेलवे अधिनियम, 1989 एवं रेलवे संपत्ति (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966	5 से 7
	कुल	50

वैज्ञानिक पर्यवेक्षक (एर्गोनॉमिक्स और प्रशिक्षण)

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ संवेदना, धारणा, ध्यान, स्मृति, सीखना और समस्या समाधान, भावना और प्रेरणा, मानव क्षमताओं की प्रकृति, बुद्धि, योग्यता और रुचि	6 से 8
2	जैव-शारीरिक प्रक्रियाएँ केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क कार्यों का स्थानीयकरण, गोलार्ध विशिष्टता, तंत्रिका आवेग चालन, रिसेप्टर प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र (शारीरिक विकास, भावनात्मक गतिविधियाँ और व्यक्तित्व में भूमिका), नींद और उत्तेजना	7 से 8
3	व्यक्तित्व का मनोविज्ञान व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व का विकास और वृद्धि, व्यक्तित्व के सिद्धांत, मापन की तकनीकें, व्याख्या और भविष्यवाणी	6 से 8
4	शोध पद्धति शोध पद्धतियाँ, शोध डिजाइन, परिकल्पना, नमूनाकरण तकनीक, डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीके, डेटा की व्याख्या और रिपोर्ट लेखन	6 से 8
5	परीक्षण निर्माण मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की परिभाषा, परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण, विश्वसनीयता और वैधता का आकलन, मानदंडों का विकास	6 से 8
6	मनोविज्ञान में सांख्यिकीय विधि मापन का पैमाना, केंद्रीय प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता के उपाय, मानक अंक, सामान्यीकृत मानक अंक वितरण, प्रतिशत रैंक, सामान्य वितरण, सामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्र, अंतरों का महत्व, सहसंबंध और प्रतिगमन, विचरण का विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, माप की विश्वसनीयता और वैधता, परीक्षण पैमाने और मानदंड	6 से 8
7	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान व्यक्तिगत अंतर और माप, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक विकार और मानसिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण, उद्योग और संगठन में मनोविज्ञान, नैदानिक सेटिंग्स में मनोविज्ञान	7 से 8
	कुल	50

वैज्ञानिक सहायक/प्रशिक्षण

क्र. सं.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ संवेदना, धारणा, ध्यान, स्मृति, सीखना और समस्या समाधान, भावना और प्रेरणा, मानव क्षमताओं की प्रकृति, बुद्धि, योग्यता और रुचि	7 से 8
2	व्यक्तित्व का मनोविज्ञान व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व का विकास और वृद्धि, व्यक्तित्व के सिद्धांत, मापन की तकनीकें, व्याख्या और अनुमान	5 से 7
3	परामर्श और प्रशिक्षण परामर्श के सिद्धांत, परामर्श के प्रकार, परामर्श की तकनीक, प्रेरणा और मनोबल से संबंधित कर्मचारी परामर्श, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन	6 से 8
4	शोध पद्धति शोध पद्धतियाँ, शोध डिजाइन, परिकल्पना, नमूनाकरण तकनीक, डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीके, डेटा की व्याख्या और रिपोर्ट लेखन	6 से 8
5	परीक्षण निर्माण मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की परिभाषा, परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण, विश्वसनीयता और वैधता का आकलन, मानदंडों का विकास	6 से 8
6	मनोविज्ञान में सांख्यिकीय विधि मापन का पैमाना, केंद्रीय प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता के उपाय, मानक स्कोर और सामान्यीकृत मानक स्कोर वितरण, प्रतिशत रैंक, सामान्य वितरण, सामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्र, अंतर का महत्व, सहसंबंध और प्रतिगमन, विचरण का विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, माप की विश्वसनीयता और वैधता, परीक्षण पैमाने और मानदंड	6 से 8
7	अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान व्यक्तिगत अंतर और माप, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक विकार और मानसिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण, उद्योग और संगठन में मनोविज्ञान, नैदानिक सेटिंग्स में मनोविज्ञान	6 से 8
कुल		50

सीईएन - 07/2024 पोस्ट पैरामीटर

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
1	स्नातकोत्तर शिक्षक /वाणिज्य	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य के विषय में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। तथापि, अप्लाइड / बिजनेस ईकोनोमिक्स में एम. कॉम के डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
2	स्नातकोत्तर शिक्षक /वाणिज्य (पुरुष)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य के विषय में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। तथापि, अप्लाइड / बिजनेस ईकोनोमिक्स में एम. कॉम के डिग्री धारक पात्र नहीं होंगे। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
3	स्नातकोत्तर शिक्षक /हिंदी	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के साथ कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी या संस्कृत के विषय में मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
4	स्नातकोत्तर शिक्षक /हिंदी (पुरुष)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिंदी विषय के साथ कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी या संस्कृत के विषय में मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
5	स्नातकोत्तर शिक्षक /पोलिटिकल साइंस	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस के विषय में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
6	स्नातकोत्तर शिक्षक /बंगाली	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बंगाली के विषय में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) बंगाली माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता				न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं	
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)		बहु दिव्यांगता (MD)
7	स्नातकोत्तर शिक्षक /जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) वनस्पति विज्ञान/ प्राणीशास्त्र/जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान/ आनुवंशिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ आप्ठिक जैव/प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ प्राणीशास्त्र/जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान/ आनुवंशिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ आप्ठिक जैव/प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, यदि स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया हो तो।</p> <p>(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता।</p> <p>वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।</p>
8	स्नातकोत्तर शिक्षक /जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) वनस्पति विज्ञान/ प्राणीशास्त्र/जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान/ आनुवंशिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ आप्ठिक जैव/प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ प्राणीशास्त्र/जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान/ आनुवंशिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ आप्ठिक जैव/प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, यदि स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया हो तो।</p> <p>(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता।</p> <p>वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
9	स्नातकोत्तर शिक्षक /गणित (अंग्रेजी माध्यम)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) गणित में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/अनुप्रयुक्त गणित (अप्लाइड मैथमैटिक्स) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
10	स्नातकोत्तर शिक्षक /गणित (अंग्रेजी माध्यम) (महिला)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) गणित में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/अनुप्रयुक्त गणित (अप्लाइड मैथमैटिक्स) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
11	स्नातकोत्तर शिक्षक /रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) रसायन विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान/ जीव रसायन (बायोकेमिस्ट्री) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
12	स्नातकोत्तर शिक्षक /अर्थशास्त्र	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र (एप्लाइड इकोनॉमिक्स) / व्यावसायिक अर्थशास्त्र (बिजनेस इकोनॉमिक्स) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
13	स्नातकोत्तर शिक्षक /अंग्रेजी (महिला)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
14	स्नातकोत्तर शिक्षक /अंग्रेजी (पुरुष)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
15	स्नातकोत्तर शिक्षक /अंग्रेजी	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
16	स्नातकोत्तर शिक्षक /भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) भूगोल में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
17	स्नातकोत्तर शिक्षक /इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
18	स्नातकोत्तर शिक्षक /गृह विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गृह विज्ञान में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
19	स्नातकोत्तर शिक्षक /भौतिक विज्ञान	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) भौतिक विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स / अनुप्रयुक्त भौतिकी (एप्लाइड फिजिक्स) / नाभिकीय भौतिकी (न्यूक्लियर फिजिक्स) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
20	स्नातकोत्तर शिक्षक /भौतिक विज्ञान (महिला)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) भौतिक विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स / अनुप्रयुक्त भौतिकी (एप्लाइड फिजिक्स) / नाभिकीय भौतिकी (न्यूक्लियर फिजिक्स) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
21	स्नातकोत्तर शिक्षक /भौतिक विज्ञान (पुरुष)	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) भौतिक विज्ञान में एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का दो वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एम.एससी. कोर्स। अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान / इलेक्ट्रॉनिक्स / अनुप्रयुक्त भौतिकी (एप्लाइड फिजिक्स) / नाभिकीय भौतिकी (न्यूक्लियर फिजिक्स) में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या उसके समकक्ष डिग्री। (ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।
22	स्नातकोत्तर शिक्षक /समाज शास्त्र	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	क) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री। ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एड या समकक्ष डिग्री। (ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता। वांछनीय : कंप्यूटर एप्लीकेशनों का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
23	स्नातकोत्तर शिक्षक /शारीरिक प्रशिक्षण	8	47600	सी-2	18	48	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	<p>(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार कम से कम 55% अंकों के साथ शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातक (बी. पी. एड.) या शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातक (बी.पी.इ.) या स्वास्थ्य और शारीरिक प्रशिक्षण के साथ विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.) और खेल में डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>10 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2007, के अनुसार कम से कम 50% अंक के साथ बी. पी. एड. (B.P.Ed) डिग्री / चार वर्षीय बी. पी. एड. (इंटीग्रेटेड) [B.P.Ed (Intigrated)] व्यावसायिक(प्रोफेशनल) डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>13 नवंबर, 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की समय सीमा, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता और नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण) विनियम, 2002 के अनुसार कम से कम 55% अंकों के साथ बी.पी.एड. (B.P.Ed) या कम से कम 50% अंकों के साथ तीन वर्ष की अवधि का बी.पी.इ. (B.P.E) पाठ्यक्रम (या समकक्ष)।</p> <p>(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कम से कम दो वर्ष अवधि का एम.पी.एड (M.P.Ed)।</p> <p>नोट: यदि उम्मीदवार अन्यथा अच्छी तरह से योग्य है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार तथा कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
24	स्नातकोत्तर शिक्षक /कंप्यूटर साइंस	8	47600	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से कोई भी: (क) बी.ई. (B.E.) या बी.टेक (कंप्यूटर साइंस / आईटी) के साथ कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या ' डीआईएसीसी, संचार एवं आईटी मंत्रालय से बी' या 'सी' लेवल डिप्लोमा के साथ एक वर्ष का पढ़ाने का अनुभव। अथवा (ख) एम. एससी। (कंप्यूटर साइंस)/एमसीए के साथ एक वर्ष का पढ़ाने का अनुभव। अथवा (ग) मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या एम. टेक (कंप्यूटर साइंस /आईटी)। नोट: पदोन्नति के लिए बाद में पदधारी को बी.एड. या समकक्ष डिग्री प्राप्त करनी होगी।
25	वैज्ञानिक पर्यवेक्षक /एर्गोनॉमिक्स और प्रशिक्षण	7	44900	बी-1	18	38	नहीं	डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	नहीं	(क) मनोविज्ञान या शरीर विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) मानसिक क्षमताओं और व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। अथवा मनोविज्ञान में दो वर्ष के अनुसंधान कार्य का अनुभव। अथवा प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने या प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : औद्योगिक मनोविज्ञान, एर्गोनॉमिक्स / काउंसिलिंग में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर और सांख्यिकी का ज्ञान।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
26	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक /चित्रकारी (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ड्राइंग और पेंटिंग / ललित कला में एम.ए. डिग्री।</p> <p>अथवा</p> <p>कला और कला शिक्षण में बी.ए. (ऑनर्स)।</p> <p>अथवा</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 2 वर्ष के पूर्ण कालिक डिप्लोमा के साथ ड्राइंग और पेंटिंग / ललित कला में द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री</p> <p>अथवा</p> <p>12वीं(+2स्टेज) के साथ पेंटिंग/ललित कला में न्यूनतम 4 वर्षीय पूर्ण कालिक डिप्लोमा या कम से कम 5 वर्ष की अवधि का अंशकालिक डिप्लोमा।</p> <p>(ख) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 2 वर्ष का अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का शिक्षण का अनुभव।</p>
27	मुख्य विधि सहायक	7	44900	सी-1	18	43	बी, एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>विधि में विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ बार में अधिवक्ता के रूप में 3 वर्ष का स्थायी अभ्यास। सेवारत रेलवे कर्मचारी जो विधि स्नातक हैं, वे भी इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने रेलवे प्रशासन की किसी भी शाखा में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रिक्तियां उन रेलवे मजिस्ट्रेटों के लिए भी उपलब्ध होंगी जो ऐसे पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं और आवेदन करने के इच्छुक हैं।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
28	लोक अभियोजक	7	44900	सी-1	18	35	बी, एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री तथा बार में अधिवक्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातक बी.पी.एड. (B.P.Ed.) या उसके समकक्ष। अंग्रेजी माध्यम से शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षमता।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
30	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (बंगाली माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कला में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री या कला में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कला में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) बंगाली माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कला में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री या कला में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ कला में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कला में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
32	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री या वनस्पति विज्ञान/ प्राणीशास्त्र/जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान/ आनुवंशिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ आप्ठिक जैव/प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ वनस्पति विज्ञान/ प्राणीशास्त्र/जीवन विज्ञान/जैव विज्ञान/ आनुवंशिकी/ सूक्ष्म जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/ आप्ठिक जैव/प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) अंग्रेजी में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में स्नातक डिग्री या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ अंग्रेजी में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
34	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) भूगोल में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ भूगोल में स्नातक डिग्री या भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ भूगोल में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ भूगोल में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ भूगोल में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) हिंदी में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक डिग्री या हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हिंदी में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ हिंदी में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
36	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) गणित में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ गणित में स्नातक डिग्री या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ गणित में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ गणित में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ गणित में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
37	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) गणित में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ गणित में स्नातक डिग्री या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ गणित में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ गणित में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ गणित में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
38	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित और विज्ञान	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) गणित के साथ साथ वनस्पति विज्ञान तथा प्राणीशास्त्र / रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ गणित के साथ साथ वनस्पति विज्ञान तथा प्राणीशास्त्र / रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री या गणित के साथ साथ वनस्पति विज्ञान/प्राणीशास्त्र/रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री या गणित और विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ गणित के साथ साथ वनस्पति विज्ञान तथा प्राणीशास्त्र / रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ गणित के साथ साथ वनस्पति विज्ञान तथा प्राणीशास्त्र / रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ गणित के साथ साथ वनस्पति विज्ञान/प्राणीशास्त्र/रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
39	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संगीत (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के एक विषय के साथ बी.ए. डिग्री।</p> <p>या</p> <p>(ख) 12वीं(+2स्टेज) या उसके समकक्ष के साथ इनमें से कोई एक</p> <ol style="list-style-type: none"> गंधर्व महाविद्यालय मंडल, बॉम्बे की संगीत विशारद परीक्षा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद (म.प्र) की संगीत विद परीक्षा, । प्रयाग संगीत समिति (संगीत अकादमी) इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा । भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ (पहले, मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक लखनऊ) की संगीत विशारद परीक्षा। मध्य संगीत महाविद्यालय, लशकर, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा । शंकर गंधर्व विद्यालय, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा। निदेशक, शिक्षा विभाग, म.प्र. द्वारा प्रदत्त संगीत रत्न डिप्लोमा । <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
40	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीबी	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) पीसीबी में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पीसीबी में स्नातक डिग्री या भौतिक विज्ञान /रसायन विज्ञान/ जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ पीसीबी में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ पीसीबी में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ भौतिक विज्ञान /रसायन विज्ञान/ जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
41	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीएम	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) पीसीएम में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ पीसीएम में स्नातक डिग्री या भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ पीसीएम में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ पीसीएम में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/गणित में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
42	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संस्कृत	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) संस्कृत में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ संस्कृत में स्नातक डिग्री या संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ संस्कृत में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ संस्कृत में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ संस्कृत में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री या वनस्पति विज्ञान/प्राणीशास्त्र/रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ विषय वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ विषय वनस्पति विज्ञान, प्राणीशास्त्र और रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ वनस्पति विज्ञान/प्राणीशास्त्र/रसायन विज्ञान/भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता ।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
44	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	7	44900	सी-2	18	48	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	(क) शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातक (बी.पी.एड.) या उसके समकक्ष। (ख) अंग्रेजी माध्यम में शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षमता।
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	निम्नलिखित में से किसी भी एक में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंकों के साथ: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री (बी.सी.ए.)। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक। (तथापि सभी वर्षों में कंप्यूटर साइंस विषय का अध्ययन मुख्य विषय के रूप में किया गया हो।) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.इ/बी.टेक (कंप्यूटर साइंस/सूचना प्रद्योगिकी) अथवा किसी भी विषय में स्नातक डिग्री के साथ डीओईएसीसी, भारत सरकार के सूचना एवं संचार तथा प्रद्योगिकी मंत्रालय, से 'ए' स्तर का पाठ्यक्रम।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
46	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबंध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए या इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए या इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल होना चाहिए और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ इतिहास/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
48	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गृह विज्ञान (महिला)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल /अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से गृह विज्ञान में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। अथवा बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) के साथ प्रशिक्षण/शिक्षा में डिग्री/डिप्लोमा।
49	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिन्दी (महिला)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल /अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) हिन्दी में स्नातक की डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ हिन्दी में स्नातक डिग्री या हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ हिन्दी में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हिन्दी में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ हिन्दी में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड। (ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है। (ग) हिंदी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता। नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
50	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / शिल्प (अंग्रेजी माध्यम)	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 12वीं(+2स्टेज)। (ख) आईटीआई या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण का दो वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। (ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता। वांछनीय : किसी सरकारी संस्थान या प्रतिष्ठित संस्थान में दो वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
51	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / असमिया	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) असमिया में स्नातक की डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ असमिया में स्नातक डिग्री या असमिया में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ असमिया में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ असमिया में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ असमिया में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड। (ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है। (ग) असमिया माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता। नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
52	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / इतिहास	7	44900	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) इतिहास में स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। अथवा बी.एड. के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ इतिहास में स्नातक डिग्री या इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ इतिहास में स्नातक डिग्री और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी विनियमों के अनुसार शिक्षण में एक वर्षीय स्नातक डिग्री (बी.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक डिग्री (बी.एल.एड)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या उसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड या बी.ए.एड/बी.एससी.एड। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ इतिहास में स्नातक डिग्री और एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा)। अथवा कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण। बशर्ते कि स्नातक डिग्री में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने 09 दिसंबर, 2013 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है।</p> <p>(ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
53	वैज्ञानिक सहायक / प्रशिक्षण	6	35400	बी-1	18	38	नहीं	डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/ अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	नहीं	नहीं	नहीं	(क) मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रशासन में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय : 1) कंप्यूटर और संख्याकी का ज्ञान। 2) औद्योगिक / संगठनात्मक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता।
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	35400	सी-2	18	36	बी एलवी	ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/ अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	डी एचएच	नहीं	हाँ	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ या परीक्षा का माध्यम हो उस से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों, या डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक हो। (ख) हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी और उसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
55	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	35400	सी-1	18	36	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	नहीं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से जनसंपर्क/ विज्ञापन/पत्रकारिता/जनसंचार में डिप्लोमा। वांछनीय : संबंधित क्षेत्रों में 2 वर्ष का अनुभव।
56	कर्मचारी और कल्याण निरीक्षक	6	35400	सी-1	18	36	नहीं	डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	नहीं	स्नातक डिग्री के साथ निम्नलिखित योग्यता में से कोई एक: (क) श्रम/समाज कल्याण में डिप्लोमा। (ख) श्रम कानूनों में डिप्लोमा। (ग) श्रम कानूनों में पेपर के साथ एलएलबी। (घ) कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। (ङ) भारत सरकार के संस्थान द्वारा प्रदत्त कार्मिक प्रबंधन में पेपर के साथ एमबीए। (च) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त एमबीए/एचआर। (छ) मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा बशर्ते उसके पाठ्यक्रम में भारत सरकार के संस्थान द्वारा प्रदत्त कार्मिक प्रबंधन से संबंधित पेपर शामिल है।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
57	लाइब्रेरियन	6	35400	सी-2	18	33	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	डी एचएच	नहीं	हाँ	पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक (4 वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा लाइब्रेरियनशिप में डिप्लोमा की व्यावसायिक योग्यता के साथ स्नातक।
58	संगीत अध्यापिका	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत के एक विषय के साथ बी.ए. डिग्री। या (ख) 12वीं(+2स्टेज) या उसके समकक्ष के साथ इनमें से कोई एक 1. गंधर्व महाविद्यालय मंडल, बॉम्बे की संगीत विशारद परीक्षा। 2. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैराबाद (म.प्र) की संगीत विद परीक्षा। 3. प्रयाग संगीत समिति (संगीत अकादमी) इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा। 4. भातखंडे संगीत विद्यापीठ, लखनऊ (पहले, मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक लखनऊ) की संगीत विशारद परीक्षा। 5. मध्य संगीत महाविद्यालय, लश्कर, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा। 6. शंकर गंधर्व विद्यालय, ग्वालियर की अंतिम परीक्षा। 7. निदेशक, शिक्षा विभाग, म.प्र. द्वारा प्रदत्त संगीत रतन डिप्लोमा।

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)। अथवा न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
60	प्राथमिक शिक्षक / अंग्रेजी	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)। अथवा न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
61	प्राथमिक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)। अथवा न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
62	प्राथमिक शिक्षक / विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
63	सहायक अध्यापिका (जूनीयर स्कूल)	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
64	प्राथमिक शिक्षक / बंगाली	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) बंगाली माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
65	प्राथमिक शिक्षक / हिन्दी	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) हिन्दी माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
66	प्राथमिक शिक्षक / तमिल	6	35400	सी-2	18	48	एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/एसआई	नहीं	नहीं	हाँ	<p>(क) कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन (बी.एल.एड)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं(+2स्टेज) (या इसके समकक्ष) और शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)।</p> <p>अथवा</p> <p>स्नातक और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)।</p> <p>अथवा</p> <p>कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)।</p> <p>अथवा</p> <p>न्यूनतम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड-एम.एड.</p> <p>(ख) एनसीटीई द्वारा इस उद्देश्य के लिए तैयार दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में उत्तीर्ण।</p> <p>(ग) तमिल माध्यम में पढ़ाने में सक्षमता।</p> <p>नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग जैसे आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी।</p>

कोटि	पद का नाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	वेतन (₹)	चिकित्सा मानदंड	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं
							दृष्टि दोष (VI)	लोकोमोटर दिव्यांगता (LD)	श्रवण दोष (HI)	अन्य दिव्यांगता (OD)	बहु दिव्यांगता (MD)	
67	प्रयोगशाला सहायक / स्कूल	4	25500	सी-2	18	48	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	विज्ञान के साथ 12वीं(+2स्टेज) या इसके समकक्ष परीक्षा और पैथोलॉजिकल एवं बायो-केमिकल प्रयोगशाला में 1 वर्ष का अनुभव।
68	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III रसायन और धातुकर्म	2	19900	बी-1	18	33	नहीं	ओए, ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूयोरोजिकल /अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसडी/ एसआई	डी एचएच	नहीं	हाँ	विज्ञान के विषयों (भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान) के साथ 12वीं(+2स्टेज) या इसके समतुल्य परीक्षा। अथवा इसके समकक्ष।

अनुलग्नक-B

सीईएन - 07/2024 रिक्ति तालिका

सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड-वार, रेलवे/ उत्पादन इकाई-वार और पद-वार रिक्तियां

रेलवे भर्ती बोर्ड / अहमदाबाद

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	प.रे.	2			1		3				1							
57	लाइब्रेरियन	6	एनए आईआर	1					1											
कुल				3			1		4				1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / अजमेर

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	उ.प.रे.	4	1	1	1	1	8	1	1									
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	प.म.रे.	1					1				1							
कुल				5	1	1	1	1	9	1	1		1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / बंगलूरु

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
27	मुख्य विधि सहायक	7	द.प.रे.	1		1			2											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	द.प.रे.	1					1											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	द.प.रे.	1					1											
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.प.रे.	1					1											
46	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान	7	द.प.रे.	1					1											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	द.प.रे.	2	1	1	1		5	1			1							
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.प.रे.	1					1											
			कुल	8	1	2	1		12	1			1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / भोपाल

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	प.म.रे.	1					1											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	प.म.रे.	1					1				1							
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	प.म.रे.				1		1											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	प.म.रे.	1					1											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	प.म.रे.	1					1											
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी	8	प.म.रे.	1					1											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	प.म.रे.			1	1		2											
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान	8	प.म.रे.	1				1	2											
27	मुख्य विधि सहायक	7	प.म.रे.	1	1			1	3											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	प.म.रे.	2	1		1		4											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	प.म.रे.	1		1	1	1	4											
37	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	7	प.म.रे.	2	1		1		4				1							
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	प.म.रे.	2	1				3											
44	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	7	प.म.रे.			1			1											

रेलवे भर्ती बोर्ड / भोपाल

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	प.म.रे.				1		1											
50	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / शिल्प (अंग्रेजी माध्यम)	7	प.म.रे.	1			1		2											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	प.म.रे.	3	1	1	1	1	7	1	1									
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	प.रे.	1					1											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	प.म.रे.	10	3	1	5	2	21	2			1							
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	प.रे.	3					3											
67	प्रयोगशाला सहायक / स्कूल	4	प.म.रे.	2					2											
कुल				34	8	5	13	6	66	3	1		3							

रेलवे भर्ती बोर्ड / भुवनेश्वर

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
27	मुख्य विधि सहायक	7	पू.त.रे.	1			1		2											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	पू.त.रे.	3			1	1	5	1										
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पू.त.रे.	2	1				3											
कुल				6	1		2	1	10	1										

रेलवे भर्ती बोर्ड / बिलासपुर

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	द.पू.म.रे.	1			2		3											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	द.पू.म.रे.	1			1		2											
5	स्नातकोत्तर शिक्षक / पोलिटिकल साइंस	8	द.पू.म.रे.	1					1											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.म.रे.	1					1											
9	स्नातकोत्तर शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.म.रे.	1			1		2											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	द.पू.म.रे.	1			1		2											
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी	8	द.पू.म.रे.	1			1		2											
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.म.रे.	1				1	2											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.म.रे.	1		1			2											
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान	8	द.पू.म.रे.	1	1		1		3											
27	मुख्य विधि सहायक	7	द.पू.म.रे.	2				1	3											
28	लोक अभियोजक	7	द.पू.म.रे.	2					2											
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.म.रे.	3			1		4											
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.म.रे.	6			3	3	12	1			1							
50	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / शिल्प (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.म.रे.	2			1		3											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	द.पू.म.रे.	4		1	3	2	10	1			1							
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	द.पू.म.रे.	5	1		1		7	1										
37	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.म.रे.	4			1		5	1										
40	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीबी	7	द.पू.म.रे.	2			1		3											
42	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संस्कृत	7	द.पू.म.रे.	5		1	2	1	9	1										
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	द.पू.म.रे.	7			1	1	9	1										
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	द.पू.म.रे.	2			1		3				1							
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.पू.म.रे.	4		1			5											
57	लाइब्रेरियन	6	द.पू.म.रे.	2					2											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	द.पू.म.रे.	24	8	3	12	6	53	5			2							
68	लैब एसिस्टेंट ग्रेड III रसायनज्ञ और धातुकर्मी	2	द.पू.म.रे.	2			1		3											
			कुल	86	10	7	35	15	153	11			5							

रेलवे भर्ती बोर्ड / चंडीगढ़

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	उ.रे.	8	3	2	5	2	20	2			1							
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	उ.रे.		1			1	2											
कुल				8	4	2	5	3	22	2			1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / चेन्नई

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एन सीएल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	द.रे.	1					1		1									
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	द.रे.	1					1		1									
27	मुख्य विधि सहायक	7	द.रे.	2	1		1		4		1									
28	लोक अभियोजक	7	द.रे.	7	2	1	1	1	12	1	1									
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.रे.	1				1	2											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	द.रे.	3		1			4		1									
37	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.रे.	5	1	1			7	1	1									
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	द.रे.	5	1				6	1	1									
50	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / शिल्प (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.रे.	1					1		1									
52	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / इतिहास	7	द.रे.	9	2				11	1	1									
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	द.रे.	1	1				2											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	आईसीएफ	1			1	1	3											
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.रे.	1	1				2											
57	लाइब्रेरियन	6	द.रे.				1		1											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	द.रे.	5			1	3	9	1	1									
65	प्राथमिक शिक्षक / हिन्दी	6	द.रे.	2			1		3		1									
66	प्राथमिक शिक्षक / तमिल	6	द.रे.				1		1		1									
67	प्रयोगशाला सहायक / स्कूल	4	द.रे.	3	1				4											
68	लैब एसिस्टेंट ग्रेड III रसायनज्ञ और धातुकर्मी	2	द.रे.			1			2											1*
कुल				48	10	4	7	6	76	5	12									1*

**-एचआई के अंतर्गत एक बैकलॉग रिक्ति अनुसूचित जाती के समुदाय के लिए है।

रेलवे भर्ती बोर्ड / गोरखपुर

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	उ.पू.रे.	1	1	1			3											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.पू.रे.	1	1		1		3											
9	स्नातकोत्तर शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.पू.रे.		1	1			2											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.पू.रे.			1			1											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	उ.पू.रे.		1				1											
18	स्नातकोत्तर शिक्षक / गृह विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.पू.रे.	1					1											
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान	8	उ.पू.रे.	1		1			2											
22	स्नातकोत्तर शिक्षक / समाज शास्त्र	8	उ.पू.रे.	1	1				2											
25	वैज्ञानिक पर्यवेक्षक / एर्गोनॉमिक्स और प्रशिक्षण	7	आरडी एसओ	1	1		1		3				1							
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	उ.पू.रे.	2	1	1	2		6	1										
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	उ.पू.रे.			1			1											
36	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित	7	उ.पू.रे.	1		1			2											
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	उ.पू.रे.	1	1				2											
53	वैज्ञानिक सहायक / प्रशिक्षण	6	आरडी एसओ	2					2											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	उ.पू.रे.	4	1	1	2	1	9	1										
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	आरडी एसओ	1					1		1									
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	उ.पू.रे.	3			1		4											
57	लाइब्रेरियन	6	उ.पू.रे.	1			2	1	4											
कुल				21	9	8	9	2	49	2	1		1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / गुवाहाटी

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	पू.सी.रे.	2					2											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	पू.सी.रे.	2	1		1		4				1							
5	स्नातकोत्तर शिक्षक / पोलिटिकल साइंस	8	पू.सी.रे.	2	1		1	1	5	1										
6	स्नातकोत्तर शिक्षक / बंगाली	8	पू.सी.रे.				1		1											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.सी.रे.	1	1		1		3											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.सी.रे.		1				1											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	पू.सी.रे.				1	1	2											
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी	8	पू.सी.रे.	1				1	2											
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.सी.रे.	2		1	1		4											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.सी.रे.	1	1	1	2		5	1										
22	स्नातकोत्तर शिक्षक / समाज शास्त्र	8	पू.सी.रे.	1			1		2											
23	स्नातकोत्तर शिक्षक / शारीरिक प्रशिक्षण	8	पू.सी.रे.	1					1											
24	स्नातकोत्तर शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	8	पू.सी.रे.	1					1											
26	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / चित्रकारी (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.सी.रे.	1	1				2											
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.सी.रे.	1	1	1	1	1	5	1										
30	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (बंगाली माध्यम)	7	पू.सी.रे.		1	1		1	3											
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.सी.रे.	6	2	1	5	1	15	2			1							
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	पू.सी.रे.	2	2	1	2	1	8	1										
34	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.सी.रे.	1					1											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	पू.सी.रे.	4	2	1	3	1	11	1			1							
36	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित	7	पू.सी.रे.	1					1											
39	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संगीत (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.सी.रे.	1			1		2											
40	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीबी	7	पू.सी.रे.	3	1		1	1	6	1										
41	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीएम	7	पू.सी.रे.	6	2	1	7	2	18	2			1							
42	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संस्कृत	7	पू.सी.रे.	1				1	2											
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	पू.सी.रे.	6	1		3		10	1			1							
48	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गृह विज्ञान (महिला)	7	पू.सी.रे.	1					1											
50	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / शिल्प (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.सी.रे.	1	1	1	1		4											

रेलवे भर्ती बोर्ड / गुवाहाटी

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
51	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / असमिया	7	पू.सी.रे.	2			1		3											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	पू.सी.रे.	1			1		2			1								
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पू.सी.रे.	5					5											
58	संगीत अध्यापिका	6	पू.सी.रे.	2					2											
60	प्राथमिक शिक्षक / अंग्रेजी	6	पू.सी.रे.	7	3	2	5	2	19	2	1		1							
61	प्राथमिक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	6	पू.सी.रे.	1	1	1	1		4											
62	प्राथमिक शिक्षक / विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	6	पू.सी.रे.	1			1	1	3											
64	प्राथमिक शिक्षक / बंगाली	6	पू.सी.रे.		1				1				1							
65	प्राथमिक शिक्षक / हिन्दी	6	पू.सी.रे.	4	1		2	1	8	1										
			कुल	72	25	12	44	16	169	14	1	1	7							

रेलवे भर्ती बोर्ड / जम्मू-श्रीनगर

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	उ.रे.	1					1											
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पीएलडब्ल्यू	2					2											
			कुल	3					3											

रेलवे भर्ती बोर्ड / कोलकाता

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	द.पू.रे.	1			1	1	3											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	पू.रे.	1					1											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	द.पू.रे.	2		1	2	1	6	1			1							
5	स्नातकोत्तर शिक्षक / पोलिटिकल साइंस	8	पू.रे.	1					1											
5	स्नातकोत्तर शिक्षक / पोलिटिकल साइंस	8	द.पू.रे.	1		1	2	1	5	1										
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.रे.	1			1	1	3											
9	स्नातकोत्तर शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.रे.	1			1	1	3											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.रे.	1			2	1	4											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	द.पू.रे.	1			1	1	3											
14	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी (पुरुष)	8	द.पू.रे.	2		1	2	1	6	1	1									
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.रे.	1					1											
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.रे.	2			1		3											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.रे.		1				1											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	द.पू.रे.	2		1	2	1	6	1										
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान	8	पू.रे.	1					1											
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान	8	द.पू.रे.	1			1		2											
27	मुख्य विधि सहायक	7	पू.रे.	1	1	1	2		5	1										
27	मुख्य विधि सहायक	7	द.पू.रे.	3			3	1	7	1										
28	लोक अभियोजक	7	द.पू.रे.			1		1	2											
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.रे.	2					2											
32	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.रे.	2					2											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	पू.रे.	2					2											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	द.पू.रे.	2			1		3											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	पू.रे.	2					2											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	द.पू.रे.	1			1		2											
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	पू.रे.			1			1											
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	द.पू.रे.	2	1		2	1	6	1										
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	पू.रे.		2			1	3											
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	द.पू.रे.	1			1		2											

रेलवे भर्ती बोर्ड / कोलकाता

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	पू.रे.	3		1	1	1	6	1										
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	द.पू.रे.	4			1		5	1										
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पू.रे.	4	1	1	3	1	10	1										
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.पू.रे.	3	1	1	1		6	1										
57	लाइब्रेरियन	6	पू.रे.	1					1											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	पू.रे.	3					3											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	द.पू.रे.	2	1		1		4											
68	लैब एसिस्टेंट ग्रेड III रसायनज्ञ और धातुकर्मी	2	पू.रे.	3	1		2	1	7	1										
			कुल	60	9	10	35	16	130	12	1		1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / मालदा

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	पू.रे.					1	1											
5	स्नातकोत्तर शिक्षक / पोलिटिकल साइंस	8	पू.रे.	1					1											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.रे.	1					1											
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.रे.				1		1											
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.रे.	1					1											
32	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.रे.	1					1		1									
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	पू.रे.	1	1		1		3											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	द.पू.रे.	1	1		1		3											
34	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.रे.	1					1											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	पू.रे.	1	1				2											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	द.पू.रे.	1					1											
36	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित	7	पू.रे.				1		1											
40	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीबी	7	द.पू.रे.	1					1											
41	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीएम	7	द.पू.रे.	1					1											
42	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संस्कृत	7	द.पू.रे.	1					1											

रेलवे भर्ती बोर्ड / मालदा

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	पू.रे.	2				1	3											
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	पू.रे.	1					1											
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	द.पू.रे.	3	1	1	3	1	9	1										
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	पू.रे.				1	1	2											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	पू.रे.	2	1		1		4											
60	प्राथमिक शिक्षक / अंग्रेजी	6	द.पू.रे.	2					2											
कुल				22	5	1	9	4	41	1	1									

रेलवे भर्ती बोर्ड / मुंबई

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	म.रे.	1			1	1	3											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	म.रे.	1					1											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	म.रे.				1		1											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	म.रे.				1		1											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	म.रे.				1		1											
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी	8	म.रे.	1					1											
27	मुख्य विधि सहायक	7	म.रे.	10			1		11	1										
27	मुख्य विधि सहायक	7	प.रे.	1	1		1		3											
28	लोक अभियोजक	7	प.रे.	3	1				4											
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	म.रे.	2	2		4	2	10	1			1							
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	म.रे.	1	2	1	3		7	1										
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	म.रे.	9	1		2	1	13	1		1								
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	प.रे.	7	3	1	4	2	17	2		1								
55	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	प.रे.	1					1											
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	प.रे.	2	1		1		4											
58	संगीत अध्यापिका	6	प.रे.	1					1											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	प.रे.	4	2	1	3	1	11	1	1									
60	प्राथमिक शिक्षक / अंग्रेजी	6	म.रे.	7	3	2	6	4	22	2	1									
कुल				51	16	5	29	11	112	9	2	2	1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / पटना

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	पू.म.रे.	1					1											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	पू.म.रे.	2					2											
5	स्नातकोत्तर शिक्षक / पोलिटिकल साइंस	8	पू.म.रे.	2			1		3											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.म.रे.	2					2											
9	स्नातकोत्तर शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.म.रे.	2					2											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.म.रे.	1	1		1		3											
24	स्नातकोत्तर शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	8	पू.म.रे.	1			1		2											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	पू.म.रे.	1					1											
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी	8	पू.म.रे.	2	1				3											
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.म.रे.		1				1											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	पू.म.रे.	1			1		2											
19	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान	8	पू.म.रे.	2			1		3											
27	मुख्य विधि सहायक	7	पू.म.रे.	4	1				5	1										
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.म.रे.	1					1											
32	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.म.रे.	1	1		1		3											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	पू.म.रे.	1	1		1		3											
34	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	7	पू.म.रे.	1					1											
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	पू.म.रे.	1	1		1		3				1							
36	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित	7	पू.म.रे.	1			1		2											
43	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / विज्ञान	7	पू.म.रे.	1			1		2											
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	पू.म.रे.	1					1											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	पू.म.रे.	3	1	1		1	6	1	1									
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पू.म.रे.	2					2											
कुल				34	8	1	10	1	54	2	1		1							

रेलवे भर्ती बोर्ड / प्रयागराज

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपिव-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य	8	उ.म.रे.				1		1											
2	स्नातकोत्तर शिक्षक / वाणिज्य(पुरुष)	8	उ.रे.				1		1											
3	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी	8	उ.म.रे.				1	1	2											
4	स्नातकोत्तर शिक्षक / हिंदी (पुरुष)	8	उ.रे.	1					1											
7	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.म.रे.	1					1											
8	स्नातकोत्तर शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	8	उ.रे.		1				1											
9	स्नातकोत्तर शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.म.रे.				1		1											
10	स्नातकोत्तर शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम) (महिला)	8	उ.रे.	1					1											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	बीएलडब्ल्यू	1			1		2											
11	स्नातकोत्तर शिक्षक / रसायन विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.म.रे.	1					1											
12	स्नातकोत्तर शिक्षक / अर्थशास्त्र	8	उ.म.रे.	1					1											
13	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी (महिला)	8	बीएलडब्ल्यू	1					1		1									
15	स्नातकोत्तर शिक्षक / अंग्रेजी	8	उ.म.रे.	2					2											
16	स्नातकोत्तर शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.म.रे.	1					1											
17	स्नातकोत्तर शिक्षक / इतिहास (अंग्रेजी माध्यम)	8	उ.म.रे.		1				1											
20	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान (महिला)	8	उ.रे.		1				1		1									
21	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान (पुरुष)	8	बीएलडब्ल्यू	1					1											
21	स्नातकोत्तर शिक्षक / भौतिक विज्ञान (पुरुष)	8	उ.रे.			1			1											
23	स्नातकोत्तर शिक्षक / शारीरिक प्रशिक्षण	8	बीएलडब्ल्यू	1					1											
27	मुख्य विधि सहायक	7	उ.म.रे.	2			1	1	4											
29	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम)	7	बीएलडब्ल्यू	1					1											
32	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	7	बीएलडब्ल्यू	1	1				2											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	बीएलडब्ल्यू				1		1											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	उ.म.रे.					1	1											
34	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / भूगोल (अंग्रेजी माध्यम)	7	उ.म.रे.				1		1											
38	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित और विज्ञान	7	उ.म.रे.	1			1	1	3			1								
37	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गणित (अंग्रेजी माध्यम)	7	बीएलडब्ल्यू	2	1		1		4											

रेलवे भर्ती बोर्ड / प्रयागराज

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि- एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू- सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
39	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संगीत (अंग्रेजी माध्यम)	7	बीएलडब्ल्यू	1					1											
39	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संगीत (अंग्रेजी माध्यम)	7	उ.म.रे.				1		1											
42	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / संस्कृत	7	बीएलडब्ल्यू	1	1				2		1									
44	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	7	उ.म.रे.	1					1											
44	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (अंग्रेजी माध्यम) (पुरुष)	7	उ.रे.		1				1											
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	बीएलडब्ल्यू	1					1											
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	उ.रे.				1		1											
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	बीएलडब्ल्यू			1			1											
47	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / सामाजिक विज्ञान (महिला)	7	उ.म.रे.			1			1											
48	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / गृह विज्ञान (महिला)	7	बीएलडब्ल्यू					1	1											
49	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी (महिला)	7	उ.रे.	1					1		1									
55	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	7	उ.म.रे.		1		1		2											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	बीएलडब्ल्यू		1	1			2											
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	उ.म.रे.	3	1	1	1	1	7	1			1							
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	उ.म.रे.	4			1		5				1							
57	लाइब्रेरियन	6	बीएलडब्ल्यू	1					1											
59	प्राथमिक रेलवे शिक्षक	6	उ.म.रे.	8	1	1	5	2	17	2			1							
63	सहायक अध्यापिका (जूनियर स्कूल)	6	उ.रे.	2					2		1									
67	प्रयोगशाला सहायक / स्कूल	2	उ.रे.	1					1											
कुल				43	11	6	20	8	88	3	5		4							

रेलवे भर्ती बोर्ड / रांची

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
31	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कला (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.रे.	1			1		2											
32	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम)	7	द.पू.रे.	1					1											
33	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / अंग्रेजी	7	द.पू.रे.	2	1		1	1	5	1										
35	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / हिंदी	7	द.पू.रे.	1			1		2											
40	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीबी	7	द.पू.रे.	2	1		1	1	5	1										
41	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / पीसीएम	7	द.पू.रे.	2	1		1	1	5	1										
45	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक / कंप्यूटर साइंस	7	द.पू.रे.	1			1		2											
कुल				10	3		6	3	22	3										

रेलवे भर्ती बोर्ड / सिक्दराबाद

कोटि सं.	पद का नाम	स्तर	रेलवे / उत्पादन इकाई	रिक्तियों की संख्या																
				अना	अजा	अज जा	अपि-एनसी एल	इ डब्ल्यू एस	कुल	भू-सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
27	मुख्य विधि सहायक	7	द.म.रे.	2	1		1	1	5	1	1									
54	कनिष्ठ अनुवादक / हिंदी	6	द.म.रे.	6	2			1	9	1	1									
56	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.म.रे.	1	1				2											
कुल				9	4		1	2	16	2	2									

कुल योग 523 125 64 228 95 1036 72 28 3 27 1